ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

श्रमिक ठेका ई–निविदा आमंत्रण सूचना

(उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल/सेवाकर्मी प्रदाय हेतु)

: निविदा आमंत्रणकर्ता :

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
गोला का मंदिर, ग्वालियर – 474005

कुल पृष्ठ संख्या. 38

:: तालिका ::

(INDEX)

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक 01 से 38 तक
(1)	कवर पेज	01
(2)	तालिका/ई–निविदा आंमत्रण सूचना	02 से 03
(3)	निविदा प्रपत्र 1 – कार्य का विवरण, नियम व शर्ते	04 से 17
(4)	निविदा प्रपत्र 2 (अ) – तकनीकी अर्हताये	18 से 20
(5)	निविदा प्रपत्र 02 (ब) – तकनीकी अर्हताये संबंधी नियम व शर्ते	21 से 22
(6)	तकनीकी निविदा 03 (अ)	23 से 25
(7)	निविदा प्रपत्र 03 (ब) – भावपत्र	26
(8)	निविदा प्रपत्र 04 – संयंत्रों/दुग्ध शीत केन्द्रों की सूची	27
(9)	निविदा प्रपत्र 05 – अनुबंध पत्र	28 से 38

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

श्रमिक ठेका ई–निविदा आमंत्रण सूचना

(उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल/सेवाकर्मी प्रदाय हेतु)

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के मुख्य डेयरी संयंत्र, गोला का मंदिर कार्यालय, समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों एवं पेट्रोल पंप में तीन वर्ष की अवधि के लिए श्रमिक (उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल)/सेवाकर्मी प्रदाय हेतु प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं वित्तीय रूप से सक्षम एकल ठेकेदार/फर्म/सहकारी संस्था/एजेंसी/कम्पनी से Two bid system ''दो बिड पद्धति'' (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) के माध्यम से ई–निविदा (प्रथम) आमंत्रित की जाती है। निविदा अनुबंध अवधि पूर्ण होने पर व कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से अनुबंध अवधि में एक–एक वर्ष करके अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि अनुबंधित दरों एवं शर्तो पर की जा सकेगी।

इच्छुक निविदाकर्ता निविदा प्रपत्र की कीमत राशि रू. 2000/–(दो हजार रूपये मात्र) वेबसाइट https://www.mptenders.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान कर ई–निविदा दिनांक 24.10.2026 दोपहर 12:00 बजे से दिनांक 16.11.2026 दोपहर 12:00 बजे तक क्रय कर निविदा प्रपत्र ऑनलाइन दिनांक 16.11.2026 दोपहर 12:00 बजे तक जमा कर सकेगें। ई–निविदा दिनांक 17.11.2026 को दोपहर 03:00 बजे ऑनलाइन खोली जावेगी। किसी भी निविदा (निविदाओं) को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का संम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

ई–निविदा की संपूर्ण कार्यवाही https://www.mptenders.gov.in पर संपादित की जावेगी। निविदा संबंधी शर्ते एवं अन्य विस्तृत जानकारी ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ की अधिकारिक वेबसाइट www.sanchigwalior.com पर उपलब्ध है। निविदा में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है, तो सिर्फ उपरोक्त दर्शायी गई वेबसाइट पर ही अपलोड किया जावेगा, अन्य और कोई भी माध्यम में प्रकाशित नहीं होगा। अतः निरन्तर उपरोक्त वेबसाईट का अवलोकन करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
गोला का मंदिर, ग्वालियर– 474005

कार्यालय ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

प्रपत्र –01

1 प्रस्तावना	
1.1	ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के मुख्य डेयरी संयंत्र, गोला का मंदिर कार्यालय, पेट्रोल पम्प एवं समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों में तीन वर्ष की अवधि के लिए श्रमिक (उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल)/सेवाकर्मी प्रदाय हेतु प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं वित्तीय रूप से सक्षम एकल ठेकेदार/फर्म/सहकारी संस्था/ एजेंसी/कम्पनी से **जिसे 05 वित्तीय वर्ष क्रमशः 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 में औद्योगिक संस्थानों/दुग्ध संघों/खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में श्रमिक प्रदाय का कार्य अनुभव अनिवार्य हो,** से Two bid system "दो बिड पद्धति" (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) के माध्यम से ई–निविदा, निविदा प्रपत्र में दिये गये नियम एवं शर्तो के अधीन आमंत्रित की जाती है। निविदा अनुबंध अवधि पूर्ण होने पर व कार्य संतोषप्रद होने पर अनुबंध अवधि में एक–एक वर्ष करके अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि अनुबंधित दरों एवं शर्तो पर की जा सकेगी।
2 - अधिकृत अधिकारी का नाम एवं पता :–	
2.1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, गोला का मंदिर, ग्वालियर– 474005 म.प्र. दूरभाष नं. (0751) 2365523, मोबाईल नम्बर–9893230733 6357362040
3 - निविदा प्रपत्र के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु सम्पर्क अधिकारी एवं ई–टेण्डरिंग हेतु वेबसाईट सम्बंधी विवरणः–	
3.1	प्रभारी (प्रशासन), ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, गोला का मंदिर, ग्वालियर– 474005 म.प्र. दूरभाष नं. (0751) 2365523 E-Mail ID : purchase.gds@sanchidairy.com gwaliordairy@gmail.com निविदा संबंधी नियम व शर्तें एवं विस्तृत विवरण वेबसाईट www.sanchigwalior.com पर मात्र पठन हेतु उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र क्रय व ई–निविदा ऑनलाईन अपलोड वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर किया जाना है।
4 - ई–टेण्डर का संक्षिप्त विवरण :–	
4.1	निविदाकर्ता राशि रूपये 2,000/– (रूपये दो हजार मात्र) का ई–निविदा पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान कर निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय कर सकते हैं।

कार्यालय ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

प्रपत्र –01

4.2	**निविदा आमंत्रण हेतु समय–सारणी :–**	
1	निविदा प्रपत्र प्रकाशन की तिथि एवं समय	24.10.2026 दोपहर : 12.00 बजे से
2	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	24.10.2026 दोपहर : 12.00 बजे से प्रारम्भ
3	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	16.11.2026 दोपहर : 12.00 बजे तक
4	निविदा ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	16.11.2026 दोपहर : 12.00 बजे तक
5	तकनीकी निविदा ऑनलाइन खोलने की तिथि एवं समय	17.11.2026 दोपहर : 03.00 बजे से
6	निविदा के साथ अनिवार्यतः ऑनलाइन जमा की जाने वाली धरोहर राशि (Earnest Money)	रूपये 10,00,000/– (रूपये दस लाख मात्र)
7	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	कार्यालय ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, गोला का मंदिर, ग्वालियर
8	निविदा वैधता अवधि	तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक से 120 दिवस तक

5 - कार्य का विवरण :–

5.1 निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात श्रमिक ठेकेदार को ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र बानमोर, गोला का मंदिर कार्यालय, पेट्रोल पम्प एवं समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों हेतु प्रतिदिन लगभग 150 श्रमिकों/सेवाकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

क्र.	श्रेणी	अनुमानित संख्या
1	उच्च कुशल	20
2	कुशल	35
3	अर्द्धकुशल	10
4	अकुशल	80
5	सेवा प्रदायक कर्मी	5
	योग	150

कार्य की आवश्यकतानुसार श्रमिकों की संख्या/श्रेणी समय–समय पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

सफल निविदाकार द्वारा उच्चकुशल/कुशल/ अर्द्धकुशल/ अकुशल श्रमिकों को राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं सेवाकर्मी एमपीसीडीएफ द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार कार्य की आवश्यकतानुसार प्रदाय किया जाना अनिवार्य है। **(परिशिष्ट अ एवं ब)**

5.2 सफल निविदाकार द्वारा प्रबंधन की आवश्यकतानुसार श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे। यदि अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता होगी तो संबंधित शाखा प्रमुख/प्रभारी दुग्ध शीत केन्द्र द्वारा ठेकेदार को यथा समय सूचना दी जावेगी। श्रमिक ठेकेदार का दायित्व होगा की वह प्रबंधन के निर्देशानुसार श्रमिकों/सेवाकर्मियों की पूर्ति सुनिश्चित करेगा ताकि कार्य की गतिशीलता प्रभावित न हो तथा आवश्यक होने पर श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। यदि आवश्यकतानुसार श्रमिकों/सेवाकर्मियों की व्यवस्था व प्रशिक्षण कराने में श्रमिक ठेकेदार असफल होता है, तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार को देय भुगतान से वसूल की जा सकेगी तथा आर्थिक शास्ति भी अधिरोपित की जायेगी। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा श्रमिक ठेकेदार हेतु मान्य व बंधनकारी होगा।

अनुबंध अवधि में दुग्ध संघ की आवश्यकता अनुसार वर्ष में त्यौहार आदि विशेष दिवसों में भी निविदाकार को वांछित मानव संसाधन उपलब्ध कराने होगें।

5.3	श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्य हेतु नियोजित श्रमिक/सेवाकर्मी की उम्र **18 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष** से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं कार्य करने वाले श्रमिक की शारीरिक क्षमता कार्य के योग्य होना चाहिए। इस संबंध में प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा।
6 धरोहर राशि (ई एम डी)	
6.1	निविदाकार को ई–निविदा पोर्टल के माध्यम से धरोहर राशि (Earnest Money) **रूपये 10,00,000/–(रूपये दस लाख)** Online जमा करना अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि (Earnest Money) के निविदा अमान्य होगी।
6.2	मध्य प्रदेश राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को निविदा में धरोहर राशि के भुगतान से छूट रहेगी तथा उपयुक्त श्रेणी का पंजीयन प्रमाण पत्र तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी।
6.3	**धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।**
6.4	**ईएमडी (EMD) जब्त की जा सकती है –** **(अ) यदि कोई निविदाकार निविदा की वैधता अवधि के दौरान अपनी निविदा वापस लेता है अथवा उसमें कोई संशोधन करता है, अथवा** **(ब) सफल निविदाकार के मामले में, यदि निविदाकार अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है (अर्थात, क्रय आदेश की डुप्लीकेट प्रति पर हस्ताक्षर कर वापस प्रस्तुत नहीं करता है तथा, यदि मांगा गया हो, तो सुरक्षा निधि जमा नहीं करता है)।**
7 सुरक्षा निधि	
7.1	निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात श्रमिक ठेकदार को कार्य आदेश जारी होने कि दिनांक से 15 दिवस की समयसीमा में सम्पूर्ण सुरक्षा निधि (Security Deposit) राशि **रूपये 30,00,000/– (रूपये तीस लाख मात्र)** डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/आर.टी.जी.एस. अथवा आरबीआई (RBI) द्वारा अधिसूचित अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अथवा अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंक अथवा अनुसूचित विदेशी बैंक की गारंटी के माध्यम से ''ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ग्वालियर'' के नाम से दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। ऐसी बैंक गारंटी की वैद्यता अनुबंध अवधि के अतिरिक्त 90 दिनों के लिए मान्य रहेगी। **सुरक्षा निधि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।**
7.2	उक्त सुरक्षा निधि (Security Deposit), अनुबंध संतोषप्रद समाप्त होने के पश्चात् अनुबंध के समस्त दायित्वों को पूर्ण करने की दशा में, अधिकतम 30 दिनों के भीतर निविदाकार को वापस कर दी जाएगी।
8 निविदा की सामान्य नियम एवं शर्तें	
8.1	ई–निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के पास सुरक्षित रहेगा।
8.2	श्रमिक ठेकेदार के संबंध में प्रबंधन यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी बीमा योजना/ठेकेदार द्वारा दिये गये संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में संबंधित निकायों/उपक्रमों/विभागों पूर्व नियोक्ताओं से पत्राचार कर यदि ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है, जो श्रमिक ठेकेदार ने अपनी निविदा इत्यादि में उल्लेख न कर उसे छुपाने का प्रयास किया है, तो उसका ठेका किसी भी समय समाप्त किया जा सकेगा।
8.3	ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर संघ संयंत्र में कार्यरत सुरक्षा ठेकेदार, दुग्ध संघो/एमपीसीडीएफ के संचालक मण्डल के सदस्यों/उनके परिजनों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के पदाधिकारियों/उनके परिजनों एवं एमपीसीडीएफ या दुग्ध संघ का कोई भी कर्मचारी अथवा उस पर निर्भर परिवार के सदस्य निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं है।
8.4	निविदाकार द्वारा निविदा दर/सुपरवीजन एवं सर्विस चार्ज **तीन प्रतिशत** से कम होने पर संबंधित निविदाकार की निविदा निरस्त की जावेगी।

	निविदाकार द्वारा यह पुष्टि करते हुए स्व–घोषणा प्रस्तुत किया जाएगा कि निविदा दर न्यूनतम **तीन प्रतिशत** से कम नहीं है। वित्तीय निविदा खोले जाने के बाद यदि यह पाया जाता है कि निविदाकार द्वारा वांछित निविदा दर से कम दर प्रस्तुत की गई है, तो ऐसी निविदा को अमान्य मानते हुए निविदाकार की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
8.5	निविदाकार की पहल पर निविदा जमा किए जाने के पश्चात किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तथापि, निविदाओं के मूल्यांकन एवं तुलना के लिए दुग्ध संघ अपने विवेकानुसार निविदाकार से उसकी निविदा के संबंध में निविदा पोर्टल के माध्यम से स्पष्टीकरण मांग सकता है। अपूर्ण/छूटी हुई जानकारी अथवा दस्तावेज केवल ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेजों के संबंध में मांगे जाएंगे, जो निविदा खोलने के समय पूर्व से अस्तित्व में थे तथा तत्पश्चात उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जहाँ तक पात्रता मानदंड से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का संबंध है, निविदा जमा किए जाने के पश्चात केवल संबंधित छूटे हुए/अपूर्ण दस्तावेज ही मांगे एवं विचारित किए जाएंगे। यदि मांगा गया स्पष्टीकरण निर्धारित समयावधि में दुग्ध संघ को प्राप्त नहीं होता है, तो तकनीकी निविदा को अपूर्ण एवं गैर–उत्तरदायी माना जा सकता है। ऐसी निविदा, जिसे मूलभूत रूप से गैर–उत्तरदायी निर्धारित किया गया है, उसे दुग्ध संघ द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा बाद में निविदाकार द्वारा गैर–अनुरूपता को सुधारकर ऐसी निविदा को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकेगा।
8.6	निविदाकार द्वारा सशर्त निविदा प्रस्तुत करने पर ऐसी निविदा को अमान्य किया जायेगा। ऐसी निविदा जो निर्धारित निविदा के नियम व शर्तो को पूर्ण नहीं करेंगे वे भी निरस्ती योग्य होंगे।
8.7	अप्रत्याशित कारणों से निविदा किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा तथा इस हेतु कोई भी पत्राचार नहीं किया जावेगा।
8.8	यदि नियमों/अधिनियमों में संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तों में परिवर्तन/संशोधन/समावेश किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति पर अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा। जो कि अनुबंध का भाग माना जावेगा। असहमति की दशा में **03 माह की पूर्व सूचना** देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।
8.09	सेवा प्रदायक एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर विवाद का समाधान दोनों पक्षों व्दारा अधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधि व्दारा आपसी सहमति के आधार पर किया जावेगा। इस समझौते से उत्पन्न या इससे संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 के प्रावधानों के अनुसार आर्बिट्रेशन द्वारा किया जाएगा। उक्त विवाद हेतु आर्बिट्रेशन सेंटर ग्वालियर म.प्र, भारत में होगा।
8.10	सफल निविदाकार ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर की नाम मात्र की सदस्यता ग्रहण कर सकता है।
8.11	निविदा स्वीकृत होने पर संघ के प्रबंधन द्वारा कार्यादेश दिये जाने की स्थिति मे, निर्धारित समय–सीमा में कार्य प्रारंभ न करने/सुरक्षा निधि जमा न करने/ अनुबंध न करने की स्थिति में धरोहर राशि जब्त कर द्वितीय न्यूनतम निविदाकर्ता को नियमानुसार प्रथम न्यूनतम निविदाकार की दर पर श्रमिक ठेका दिया जा सकेगा।
8.12	निविदा प्रपत्र के नियम व शर्तो तथा विवरणो में वर्णित अर्थात कार्य पर रखे गये श्रमिक का आशय श्रमिक/सेवाकर्मी माना जाएगा।
8.13	यदि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में त्रुटिवश अथवा झूठी जानकारी दी जाती है अथवा अपने पक्ष में किसी भी प्रकार का अनुचित दबाव बनाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेंगी। साथ ही वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

09 – मूल्यांकन की प्रक्रिया

9.01	निविदा में उल्लिखित आवश्यक ईएमडी जमा करने वाले निविदाकारों की तकनीकी निविदा, ई–पोर्टल पर निर्धारित तिथि एवं समय पर ऑनलाइन खोली जाएंगी। दुग्ध संघ द्वारा निविदा में उल्लिखित तिथि एवं समय पर तकनीकी निविदायें खोली जाएंगी। निविदाकार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निविदा खोले जाने की प्रक्रिया को देख सकते हैं।
9.02	केवल उन्हीं निविदाकारों की वित्तीय निविदा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खोली जाएंगी, जिनकी तकनीकी निविदा स्वीकार्य पाई जाएगी।
9.03	निविदाओं का मूल्यांकन एवं तुलना निविदावार कुल न्यूनतम निविदा राशि के आधार पर की जाएगी।
9.04	निविदाऐं खोलने के पश्चात यदि प्रबंधन को दरें अधिक प्रतीत होती है और वह आवश्यक समझे तो न्यूनतम दर निविदाकर्ता को निगोशिएशन हेतु बुलाया जा सकता है। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
9.05	यदि एक से अधिक निविदाकारों द्वारा एक समान दरें प्रस्तुत की जाती है तो ठेका आवंटन हेतु लॉटरी के माध्यम से निर्णय लिया जायेगा। लॉटरी के समय निविदाकार/उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

10 अनुबंध की अवधि एवं निरस्तीकरण

10.01	श्रमिक ठेका अवधि अनुबंध दिनांक से तीन वर्षो के लिए होगा तथा श्रमिक ठेका अवधि पूर्ण होने पर व श्रमिक ठेकेदार का कार्य संतोषप्रद होने पर अनुबंध अवधि में एक–एक वर्ष करके अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि अनुबंधित दरों एवं शर्तो पर की जा सकेगी।
10.02	निष्पादित अनुबंध को श्रमिक ठेकेदार अथवा ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर द्वारा बिना कारण बताए तीन माह की पूर्व सूचना देकर समाप्त किया जा सकेगा। नोटिस अवधि के दौरान सफल निविदाकार सेवाऐं संतोषजनक एवं बिना व्यवधान जारी रखेगा। उपरोक्त नोटिस अवधि के बावजूद, गंभीर उल्लंघन, सेवाओं का परित्याग, लगातार असंतोषजनक कार्य–निष्पादन, मजदूरी/वैधानिक देयताओं का भुगतान न करना, धोखाधड़ी, झूठे/कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करना, लागू कानूनों का उल्लंघन, दिवालियापन या अनुबंध में निर्दिष्ट अन्य आधारों पर ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ तत्काल या बिना नोटिस के अनुबंध समाप्त कर सकता है। नोटिस अवधि में एजेंसी पूर्व लिखित अनुमति के बिना मैनपावर वापस नहीं लेगी। अनुबंध समाप्ति/अवधि पूर्ण होने पर एजेंसी ग्वालियर दुग्ध संघ या ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा नामित प्रतिस्थापन सेवा प्रदाता को सुचारु हस्तांतरण/ट्रांजिशन हेतु आवश्यक सहयोग देगी। श्रमिक ठेकेदार द्वारा यदि पूर्व सूचना दिये बिना ही श्रमिक ठेका समाप्त किया जाता है, जिससे कार्य प्रभावित होता है, तो इस स्थिति में ठेकेदार की जमा सम्पूर्ण सुरक्षा निधि राजसात की जावेगी तथा इसके अतिरिक्त श्रमिक ठेकेदार को काली सूची में अंकित किया जा सकेगा। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
10.03	निविदा स्वीकृत होने पर कार्य आदेश जारी होने की स्थिति में 15 दिवस में सफल निविदाकार द्वारा स्वयं के व्यय से अनुबंध हेतु रूपये 1,000/– (रू हजार मात्र) का गैर न्यायालयीन स्टाम्प पेपर प्रस्तुत कर अनुबंध का निष्पादन किया जाना अनिवार्य होगा। यदि सफल निविदाकार द्वारा निर्धारित अवधि तक अनुबंध निष्पादन नहीं किया जाता है तो कार्यादेश निरस्त किया जा सकेगा एवं ईएमडी जब्त की जा सकेगी। उपरोक्त के सम्बंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
10.04	अनुबंध की शर्तों के अन्तर्गत किसी भी वाद–विवाद के संबंध में सभी वैधानिक कार्यवाही के लियें

	क्षेत्राधिकार ग्वालियर स्थित न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।
11 – ठेके पर श्रमिक/सेवाकर्मी रखे जाने हेतु सफल निविदाकार अर्थात श्रमिक ठेकेदार के लिए नियम एवं शर्तें	
11.01	**उपस्थिति पत्रक** दुग्ध संघ द्वारा, उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन/ श्रमिको/सेवाप्रदायक कर्मियों की उपस्थिति एवं उनके कार्यो के अनुसार वेतन/पारिश्रमिक/मानदेय के भुगतान हेतु प्रतिमाह गत माह का सत्यापित उपस्थिति पत्रक ईमेल के माध्यम से अथवा भौतिक रूप से सफल निविदाकार को प्रतिमाह प्रथम 03 कार्य दिवस में उपलब्ध कराया जायेगा।
11.02	सफल निविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके व्दारा प्रदत्त मानव संसाधन/श्रमिक/सेवाप्रदायक कर्मी मात्र एक निश्चित समयावधि के लिए अस्थाई रूप से (Deployed Temporarily on contract basis) दुग्ध संघ को सौंपे गये हैं तथा उक्त मानव संसाधन/श्रमिको व्दारा दुग्ध संघके किसी रिक्त पद, कार्यालयीन सुविधा, भर्ती, स्थाईकरण आदि संबंधी किया गया दावा मान्य नहीं होगा।
11.03	सफल निविदाकार की दुग्ध संघ द्वारा स्वीकृत सर्विस चार्ज की दर अनुबंध की अवधि में अपरिवर्तित रहेगी।
11.04	निविदाकार निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व कार्यस्थल का भ्रमण कर सकता है।
11.05	यदि सफल निविदाकार ठेकेदार का मुख्यालय ग्वालियर शहर के अतिरिक्त अन्य कहीं है तो उसे निविदा स्वीकृत होने के 30 दिवस के भीतर ग्वालियर शहर में एक स्थानीय कार्यालय भी खोलना अनिवार्य होगा, जिसका पूर्ण पता देना होगा ताकि, प्रबंधन द्वारा पत्राचार उक्त कार्यालय के माध्यम से किया जा सके।
11.06	प्रत्येक पाली में सफल निविदाकार श्रमिक ठेकेदार या उसके द्वारा नियुक्त/नियोजित पर्यवेक्षक को संपूर्ण अवधि में उपस्थित रहना आवश्यक है जिससे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके एवं किसी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका तत्काल निराकरण किया जा सके। यदि पर्यवेक्षक किसी पाली में उपस्थित नहीं पाया जाता है तो अर्थदण्ड राशि रुपये 2,000=00 (रुपये दो हजार मात्र) लगाया जा सकेगा। पाली के प्रारंभ व अंत में शाखा प्रभारी से किये गये कार्य का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा। श्रमिक ठेकेदार या उसके द्वारा नियुक्त/नियोजित पर्यवेक्षक की संदेहजनक गतिविधि पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार द्वारा दो कार्य दिवस के अंदर पर्यवेक्षक बदला जाएगा
11.07	सफल निविदाकार श्रमिक ठेकेदार को संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र/कार्यालय/टाईम आफिस पर कारखाना अधिनियम अंतर्गत अनुशंसित श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर रखना होगा, जिसमें उसके या उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिदिन, प्रति पारी में प्रदाय किये जाने वाले श्रमिकों का विवरण उपलब्ध रहेगा। अधिकृत निरीक्षक अथवा संघ के अधिकृत अधिकारी/कर्मी द्वारा मॉगने पर रजिस्टर उपलब्ध कराया जावेगा। सफल निविदाकार या उनके पर्यवेक्षक को प्रतिदिन उस रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेदार होगा।
11.08	श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर द्वारा समय – समय पर निर्धारित श्रेणीवार न्यूनतम मजदूरी राशि तथा दुग्ध संघ द्वारा समय–समय सेवाकर्मियों की दरें बढ़ाई जाने पर श्रमिक/सेवाकर्मी को समस्त पारिश्रमिक का भुगतान बैक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। श्रमिक/सेवाकर्मी द्वारा कम भुगतान की शिकायत मिलने एवं जांच में सही पाये जाने पर एक माह के नोटिस के साथ श्रमिक ठेकेदार के कार्यादेश को निरस्त किया जा सकता है।
11.09	श्रमिक ठेकेदार को आवंटित कार्य किसी अन्य फर्म/ एजेसी आदि को हस्तांतरित नही किया जायेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो निविदा निरस्ती योग्य होगी।
11.10	सभी प्रदत्त मानव संसाधनों/श्रमिको/सेवाकर्मियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह कार्यस्थल की गोपनीयता को बनाये रखेंगे, किसी प्रकार के कदाचार संबंधी आचरण नहीं करेंगे जिसमें मिथ्या कथन, चोरी, धोखेबाजी, कार्यालयीन सम्पत्ति को नुकसान पहुॅचाना, अभद्र व अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल करना, यौन उत्पीड़न, जानबूझकर कार्यालयीन नियमों– निर्देशों की अवहेलना करना इत्यादि शामिल है।

	गोपनीयता – सफल निविदाकार के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वे इस कार्य के संबंध में उपयोगित समस्त दस्तावेजों की गोपनीयता बनायें रखेंगे तथा किसी भी ऐसी जानकारी को दुग्ध संघ की अनुमति लिए वगैर किसी तीसरे पक्ष को प्रदान नहीं करेंगे।
11.11	सफल निविदाकार अर्थात श्रमिक ठेकेदार को विभिन्न श्रम अधिनियमों/नियमों (जो भी लागू हों) एवं भविष्य में शासन द्वारा किये जाने वाले संशोधनों का पालन सुनिश्चित करना होगा । श्रमिक ठेकेदार को विभिन्न श्रम अधिनियमों, अंतर्गत वांछित प्रारूपों में जानकारी प्रस्तुत करना होगी व मांगने पर उक्त रिकार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। श्रमिक ठेकेदार की कार्य प्रणाली ऐसी हो कि किसी भी शासकीय विभाग से किसी भी प्रकार की शिकायत संघ को प्राप्त नहीं होना चाहिये। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा वैधानिक नियमों का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप शासन द्वारा आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जाता है, तो उसकी वसूली श्रमिक ठेकेदार से की जावेगी, साथ ही ऐसी दशा में दुग्ध संघ द्वारा नियमों का पालन करने के लिए किये गये व्यय की वसूली श्रमिक ठेकेदार के देयक से की जावेगी व आर्थिक दण्ड़ भी लगाया जा सकेगा। यदि किसी श्रम नियम/अधिनियम का उल्लंघन का प्रकरण संघ के संज्ञान में आता है तो अन्य कार्यवाहियों के अतिरिक्त अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। इस कार्य से संबंधित सभी वैधानिक लायसेंस, पंजीकरण एव ंकर भुगतान आदि के लिए सफल निविदाकार उत्तरदायी रहेगा।
11.12	निविदाकार को सर्विस चार्ज केवल मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि/सेवाकर्मियों के मानदेय पर देय होगा, अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान पर देय नहीं होगा।
12 – श्रमिक/सेवाकर्मी प्रदाय के लिए नियम एवं शर्तें	
12.1	सफल निविदाकार द्वारा प्रदत्त मानव संसाधन/श्रमिक/सेवाकर्मी ड्यूटी के दौरान अनुशासित रहेंगे एवं उन्हें प्रबंधन की सेवा शर्तों का पालन करते हुयें कार्य करना अनिवार्य होगा। उक्त कर्मियों द्वारा किसी भी प्रकार के ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा। वे दुग्ध संघ के विरूद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग नहीं लेगें। यदि कोई कर्मी कर्मचारी यूनियन से सदस्यता लेता है या दुग्ध संघके विरूद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग लेता है या संयंत्र को बंद कराता है या किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य/अनुशासनहीनता में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त करना सफल निविदाकार की जिम्मेदारी होगी। दोषी पाये गये श्रमिक को पुनः कार्य पर नहीं रखा जावेगा। इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिदिन प्रति श्रमिक रूपये 1,000/– तक अर्थदण्ड भी लगाया जा सकेगा, जिसकी वसूली सफल निविदाकार के देयकों में से की जा सकेगी।
12.2	संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्र/कार्यालय परिसर में मदिरापान, धूम्रपान या अन्य कोई भी नशा करना या जुआ खेलना पूर्णतः वर्जित है। श्रमिक द्वारा मदिरापान, धूम्रपान, गुटखा, पान, तम्बाकू इत्यादि का उपयोग करते हुये पाये जाने पर सफल निविदाकार के ऊपर रू. 500/– प्रति श्रमिक का अर्थदण्ड़ अधिरोपित किया जायेगा। श्रमिक द्वारा लगातार यह कृत्य किये जाने पर उसे भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जायेगा।
12.3	प्रत्येक श्रमिक को कार्य पर उपस्थिति के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा।
12.4	संयंत्र परिसर में कोई भी श्रमिक टिफिन, बोतल, बैग इत्यादि लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा तथा दुग्ध संघ प्रबंधन/प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित स्थान पर ही रखेगा, अन्यथा रू. 500/– प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड श्रमिक ठेकेदार पर अधिरोपित किया जाकर उनके देयकों से वसूल किया जा सकेगा।
12.5	सभी प्रदत्त मानव संसाधन/श्रमिक/सेवाप्रदायक कर्मी दुग्ध संघ के मुख्यालय/ अधीनस्थ जिला कार्यालयों/शाखाओं/मिनी डेयरी संयंत्रों/दुग्ध शीतकेन्द्रों के सीधे नियंत्रण व मार्गदर्शन में कार्य

	करेंगे तथा उस कार्य के संबंध में वहां लागू समस्त नियमों– निर्देशों का पालन करेंगें।
12.6	कार्यस्थल पर शाखावार श्रमिक की संख्या का निर्णय ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ के अधिकारी करेंगे तथा शाखावार श्रमिक की संख्या का निर्णय में सफल निविदाकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।
12.7	ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के परिसर में कार्य स्थल पर मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित है। मोबाइल का उपयोग करते हुये पाये जाने पर अर्थदण्ड राशि रुपये 500=00 प्रति श्रमिक अधिरोपित किया जायेगा।
12.8	श्रमिकों द्वारा सेवा त्याग देने, सेवा से हटाये जाने अथवा मृत्यु आदि होने पर श्रमिक ठेकेदार को उक्त श्रमिकों से उनका परिचय पत्र जमा कराना होगा।
12.9	डेयरी संयंत्र में कार्य करने हेतु कार्य कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। अतः वर्तमान में डेयरी संयंत्र में अनुभवी श्रमिकों को दुग्ध संघ की सहमति के बिना नहीं हटाया जाएगा तथा डेयरी संयंत्र में नए श्रमिक को कार्य पर रखे जाने के पूर्व प्रभारी संयंत्र संचालन की सहमति अनिवार्य होगी।
12.10	कार्यस्थल पर सभी श्रमिकों को प्रभारी संयंत्र संचालन अथवा अन्य किसी ग्वालियर दुग्ध संघ के सक्षम अधिकारी की आज्ञा का पालन करना आवश्यक होगा। आज्ञा के उल्लंघन अथवा अभद्र व्यवहार की स्थिति में श्रमिक ठेकेदार या उसके द्वारा नियुक्त/नियोजित पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी होगी कि उक्त श्रमिक को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए । अगर अभद्र व्यवहार की शिकायत पर उक्त श्रमिक को नहीं हटाया गया तो इस आधार पर कार्यादेश को एक महीने के नोटिस के साथ निरस्त किया जाएगा
12.11	श्रमिक ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर की मशीनरी, उपकरणों को सावधानी एवं सुरक्षापूर्वक उपयोग करना होगा। किसी भी श्रमिक से जानबूझकर या असावधानी से संघ की संपत्ति/मशीनरी/उपकरणों की क्षति/टूट–फूट/ नुकसान होने पर मरम्मत व्यय अथवा नुकसान की लागत श्रमिक ठेकेदार से वसूल की जा सकेगी।
13 श्रमिक/सेवाकर्मीयों को मजदूरी एवं अन्य स्वत्तों के भुगतान संबंधी शर्तें	
13.1	श्रमिक ठेकेदार प्रत्येक माह, गत माह में किये गये कार्यो/लगाये गये श्रमिक का सम्बंधित शाखा प्रमुखों द्वारा शाखावार सत्यापित उपस्थिति (हाजिरी) के आधार पर दो पृथक–पृथक देयक प्रस्तुत करेगा। प्रथम देयक जो कि मजदूरी एवं मासिक बोनस का होगा। सफल निविदाकार द्वारा गत माह में किये गये कार्यो/लगाये गये श्रमिकों को मजदूरी एवं बोनस का भुगतान स्वयं के स्त्रोत से बैंक के माध्यम से श्रमिकों के बैंक खातों में प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से किया जाएगा। तदनुपरांत सफल निविदाकार प्रथम देयक प्रत्येक माह की 10 तारीख तक दो प्रतियों में तैयार कर दुग्ध संघ कार्यालय में अनिवार्य रुप से जमा करेगा। दुग्ध संघ द्वारा प्रथम देयक के परीक्षण उपरांत देयक सही पाये जाने पर आगामी 7 कार्य दिवसों में उक्त देयक का भुगतान (टीडीएस कटौत्रा पश्चात्) किया जाएगा। द्वितीय देयक सभी वैधानिक भुगतान यथा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा की राशि एवं सर्विस चार्ज इत्यादि का होगा। वैधानिक भुगतान हेतु श्रमिक ठेकेदार को वैधानिक संस्थान में स्वयं के स्त्रोत से भुगतान कर उसकी भुगतान रसीद (ईसीआर, चालान आदि) की प्रति संलग्न करनी होगी, जिसके सत्यापन के पश्चात श्रमिक ठेकेदार को भुगतान (टीडीएस कटौत्रा पश्चात्) आगामी 7 कार्य दिवसों में किया जाएगा। वैधानिक भुगतान निर्धारित समय सीमा में नहीं किये जाने पर दुग्ध संघ द्वारा किसी भी प्रकार की पैनल्टी, ब्याज आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा। वैधानिक भुगतान से संबंधित पैनल्टी, ब्याज आदि का भुगतान सफल निविदाकार को ही वहन करना होगा। वेतन पत्रक में वैधानिक एवं नियमानुसार अन्य कटोत्रा का विवरण सम्पूर्ण रुप से दर्शाना होगा। श्रमिकों/सेवाकर्मियों को बैंक के माध्यम से भुगतान किये जाने की पुष्टि हेतु बैंक स्टेटमेंट और मासिक वेतन रजिस्टर (दुग्ध संघ में लगाये गये श्रमिकों/सेवा कर्मियों का) प्रस्तुत करना होगा। मजदूरी से सम्बधित किसी प्रकार की जबाबदारी ठेकेदार की होगी। प्रबंधन इस सम्बंध में जबाबदार नहीं होगा। श्रमिकों को उचित भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ठेकदार द्वारा समस्त श्रमिकों को वेतन पर्ची दी जावेगी, जिसकी एक प्रति संघ कार्यालय में भी प्रस्तुत की जाना आवश्यक होगा।
13.2	श्रमिकों का ई.पी.एफ., ई.एस.आई, श्रमिक कल्याण निधि इत्यादि का नियमानुसार कटौत्रा करने की संपूर्ण जबाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। नियम अनुसार कटौत्रे निर्धारित समय पर जमा करने की जबाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी।

13.3	बोनस, जी.एस.टी एवं अन्य वैधानिक दायित्वों के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि एवं श्रमिकों/सेवाकर्मियों को भुगतान निर्धारित समय पर करने का संपूर्ण दायित्व श्रमिक ठेकेदार का होगा। अन्यथा की स्थिति में श्रमिक ठेकेदार के विरूद्ध राशि रू 10,000/– प्रतिमाह का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा। अन्य वैधानिक दायित्वों के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि के भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत करने पर दुग्ध संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार को नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी। सर्विस चार्ज केवल मासिक न्यूनतम मजदूरी/सेवा कर्मियों के मानदेय राशि पर देय होगा, अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान पर देय नहीं होगा।
13.4	सफल निविदाकार के माध्यम से उपलब्ध कराये गये सभी मानव संसाधनों/श्रमिको/सेवाकर्मियों को दुग्ध संघ की आवश्यकतानुसार कार्यालयीन समय के बाद भी संबंधित अधिकारियों व्दारा सौंपे गये कार्यो को संपादित करना होगा। श्रम नियमानुसार अतिरिक्त समय/साप्ताहिक अवकाश/ कारखाना अवकाश में कार्य करने पर सफल निविदाकार द्वारा पात्र श्रमिकों को ओव्हर टाईम का भुगतान करना होगा। **<u>अवकाश सुविधा</u> –** सफल निविदाकार के माध्यम से उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन/श्रमिको/ सेवाकर्मियों को म.प्र. श्रम आयुक्त द्वारा जारी आदेश एवं दिशा–निर्देश प्रभावी होगे।
13.5	श्रमिको/सेवाकर्मियों को नियमानुसार देय राशि में से कोई राशि भुगतान करने में यदि श्रमिक ठेकेदार विफल हो जाता है या नियमानुसार जमा योग्य अन्य राशि जमा नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में भुगतान राशि ठेकेदार की सुरक्षा निधि (Security Deposit) राशि से या देय योग्य अन्य राशि में से दुग्ध संघ श्रमिक ठेकेदार के नाम से जमा करा देगा और शेष बची राशि वापस करेगा या ज्यादा राशि होगी तो ठेकेदार से बकाया राशि वसूल की जावेगी तथा श्रमिक ठेका निरस्त किया जा सकेगा। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
13.6	यदि किसी माह में श्रमिक ठेकेदार द्वारा श्रमिकों/सेवाकर्मियों को वेतन भुगतान नहीं किया जाता है, तो श्रमिक ठेकेदार को उक्त माह के सर्विस चार्ज का भुगतान नहीं किया जावेगा। साथ ही श्रमिक ठेका निरस्त कर एक वर्ष हेतु काली सूची में डाला जा सकेगा तथा दुग्ध संघ में जमा सुरक्षा निधि जब्त की जा सकेगी।
13.7	श्रमिक ठेका आवंटन के कार्यादेश दिनांक से एक माह की अवधि में श्रमिक ठेकेदार को सभी श्रमिकों/सेवाकर्मियों के बैंक एकाउंट खोलना अनिवार्य होगा तथा श्रमिकों के वेतन व अन्य स्वत्वों का भुगतान बैंक एकाउंट के माध्यम से ही करना होगा। मजदूरी से संबंधित किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान/कम भुगतान की जबाबदारी सफल निविदाकार की होगी, इस संबंध में दुग्ध संघ जबाबदार नहीं होगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा सभी श्रमिकों/सेवाकर्मियों के बैंक खाते खुलवाकर संघ को बैंक खातो की सूची उपलब्ध करानी होगी।
13.8	श्रमिकों/सेवाकर्मियों को नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से श्रमिक ठेकेदार द्वारा समस्त श्रमिकों/सेवाकर्मियों को वेतन पर्ची (Salary Slip) दी जावेगी, जिसकी एक प्रति संघ कार्यालय में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है ।
13.9	श्रमिक ठेकेदार के देयकों से नियमानुसार आयकर का कटौत्रा कर दुग्ध संघ द्वारा आयकर विभाग में जमा किया जावेगा किया जावेगा एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति उपरांत संघ द्वारा किये गये आयकर कटौत्रा का विवरण/प्रमाण–पत्र प्रदाय किया जायेगा।

14 – कार्य हेतु नियोजित श्रमिकों/सेवाकर्मियों के संबंध में श्रमिक ठेकेदार के दायित्व –

14.1	कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात श्रमिक ठेकेदार सभी श्रमिकों/सेवाकर्मियों के स्वयं सत्यापित आधार कार्ड की प्रति तथा पूर्ण रूप से भरे हुये फोटो पहचान पत्र की एक प्रति संघ कार्यालय में जमा करेगा।

14.2	श्रमिक ठेकेदार को कार्य पर रखे गये समस्त श्रमिकों/सेवाकर्मियों को फैक्ट्री एक्ट के अनुसार हाजिरी कार्ड, अवकाश कार्ड, अतिरिक्त समय कार्ड आदि भी देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा व्यवस्थित रिकार्ड रखना होगा एवं समय–समय पर शासन के अधिकृत निरीक्षकों/अधिकारियों से सत्यापन कराना होगा तथा संघ द्वारा मांग करने पर भी उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14.3	श्रमिक ठेका आवंटन दिनांक से एक माह की समयसीमा में ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये समस्त श्रमिकों/सेवाकर्मियों को प्रबंधन द्वारा निर्धारित की गई दो गणवेश (दो शर्ट, दो पैंट, एक जोड़ी जूते), ठेकेदार को स्वयं के व्यय से (जिसकी प्रतिपूर्ति दुग्ध संघ द्वारा नहीं की जाएगी) प्रतिवर्ष उपलब्ध कराना अनिवार्य होगी। महिला श्रमिकों को कार्य पर रखे जाने पर श्रमिक ठेकेदार को उन्हें भी प्रबंधन द्वारा निर्धारित की गई रंग की दो गणवेश (साड़ी अथवा सलवार सूट) प्रदान करना अनिवार्य होगा। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा श्रमिकों/सेवा कर्मियों को गणवेश एवं जूते प्रदान नहीं किये जाते हैं तो दुग्ध संघ द्वारा उचित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।
14.4	निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार को प्रत्येक श्रमिक/सेवाकर्मी का ई.एस. आई. कार्ड बनवाकर एक माह में देना अनिवार्य होगा । इस संबंध में शिकायत पाये जाने पर प्रत्येक श्रमिकवार राशि रू. 1000/– तक की पेनाल्टी श्रमिक ठेकेदार पर लगाई जा सकेगी। श्रमिक ठेकेदार यदि ग्वालियर शहर से बाहर का है, तो उन्हें अनुबंध के उपरांत कर्मचारी राज्य बीमा, ग्वालियर कार्यालय का सब कोड़ (Sub Code) तत्काल लेना आवश्यक है, जिससे कि श्रमिक/सेवाकर्मी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर चिकित्सा लाभ ले सके तथा चिकित्सा अवकाश अवधि के पारिश्रमिक का भुगतान श्रम नियम अनुसार शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विभाग से कराये जाने की सम्पूर्ण जवाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी।
14.5	श्रमिक ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वह श्रम नियमानुसार एवं कारखाना अधिनियम के परिपालन में सामान्यतः एक से अधिक पाली में निरंतर श्रमिको को कार्य पर नहीं रखेगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वह श्रम नियमानुसार अपने श्रमिकों से प्रतिमाह कार्य कराये, इस हेतु रिलीवर की व्यवस्था भी ठेकेदार को करनी होगी, जिसका भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा ठेकेदार को प्रतिपूर्ति की जावेगी। ऐसा नहीं पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी एवं आर्थिक शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी। ठेकेदार को श्रमिकों की संख्या के आधार पर भुगतान न करते हुए मानव दिवस (Mandays) के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
14.6	श्रमिक ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्य हेतु उपलब्ध कराये जा रहे श्रमिक (उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल)/सेवाकर्मी निविदा में दी गई शर्तो व मापदण्ड के अनुरूप हो।
14.7	सफल निविदाकार उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन/श्रमिको/सेवा कर्मियों की संपूर्ण सूची जानकारी के साथ जैसे– नाम, आधार नम्बर, पता, पुलिस वेरीफिकेशन, मेडिकल सर्टीफिकेट एवं फोटोग्राफ सहित दुग्ध संघ को प्रदान करेगा।
14.8	यदि किसी व्यक्ति को दुग्ध संघ कार्यालय सुरक्षा कारणों, अक्षमता, अनुचित व्यवहार, व्यक्तिगत रूचि से प्रभावित होने के कारण अस्वीकार करता है, तो श्रमिक ठेकेदार द्वारा उसे तत्काल बदला जाना होगा।
14.9	श्रमिकों/सेवाकर्मियों के संबंध में उत्पन्न विवाद/समस्याएं/शिकायत को निराकृत करने की जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी।
14.10	किसी श्रमिक के द्वारा व्यक्तिगत कारणों से कार्य छोड़ने पर श्रमिक ठेकेदार को तत्काल प्रतिस्थापन उपलब्ध कराना होगा।
14.11	**<u>दुर्घटना एवं बीमा</u>** – ऐसे आउटसोर्स मानव संसाधन/श्रमिक/सेवा कर्मी, जो ई.एस.आई की परिधि से बाहर हैं अथवा जो ऐसे क्षेत्र में कार्यरत हैं, जो ई.एस.आई अंतर्गत नोटिफाईड नहीं हैं, के दुर्घटना संबंधित हानि की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट 1923 के परिपालन में क्षतिपूर्ति हेतु उक्त मानव संसाधन/श्रमिकों/सेवा कर्मियों का दुर्घटना/अपंगता/मृत्यु बीमा करना (न्यूनतम रूपये 1 लाख/3 लाख/5 लाख प्रति कर्मी का समूह बीमा) सफल निविदाकार की जिम्मेदारी होगी। सफल

	निविदाकार को समूह बीमा पॉलिसी की एक प्रति अनिवार्य रूप से दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसी पॉलिसी संपूर्ण अनुबंध की अवधि तक प्रभावशील/वैध होना अनिवार्य है। अनुबंध अवधि में वृद्धि होने पर सफल निविदाकार को पॉलिसी का नवीनीकरण तुरंत कराना होगा। बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की प्रतिपूर्ति दुग्ध संघ द्वारा की जावेगी। यदि कार्य करते समय किसी कर्मी का एक्सीडेंट हो जाय तो ऐसी परिस्थिति में वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट के अन्तर्गत देय मुआवजों एवं अन्य दावों, खर्चो आदि का पूर्ण खर्च सफल निविदाकार को कराना होगा।
14.12	श्रमिक ठेकेदार को अच्छे आचरण एवं चरित्र के श्रमिक देना होंगें। उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उनके विरूद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज न हो। यदि कोई श्रमिक डेरी संयंत्र/ दुग्ध शीतकेन्द्र /कार्यालय परिसर में अभद्र व्यवहार या लडाई झगडा करता हुआ पाया जाता है अथवा संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो ठेकेदार को ऐसे श्रमिक तत्काल हटाना होंगें। सभी प्रदत्त मानव संसाधनों/श्रमिकों/सेवाकर्मियों व्दारा उपरोक्त बिन्दुओं में वर्णित कदाचार एवं कार्यालयीन मर्यादाओं का उल्लंघन करने अथवा प्रशासनिक लापरवाही करने या उसके विरूद्ध वित्तीय अनियमितता आदि से संबंधित शिकायत आदि प्राप्त होने की स्थिति में सफल निविदाकार के लिए यह बंधनकारी होगा कि वह संबंधित सभी प्रदत्त मानव संसाधानों/श्रमिको/ सेवा कर्मियों को हटाकर उनके स्थान पर अन्य मानव संसाधानों/श्रमिको/सेवा कर्मियों की तत्काल व्यवस्था कर दुग्ध संघ को उपलब्ध कराये। ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपराधिक प्रवृत्ति/सजायाफ्ता/असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर न रहें। अगर ऐसा पाया गया तो समस्त वैधानिक जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। किसी भी श्रमिक द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर प्रति श्रमिक राशि रूपये 5,000/– तक अर्थदण्ड ठेकेदार पर अधिरोपित किया जा सकेगा।
14.13	प्रबंधन के निर्देशानुसार ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों की सामयिक चिकित्सा जॉच करवानी होगी (वर्ष में दो बार चिकित्सा जॉच कराना अनिवार्य होगा) तथा तत्संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य पर लगाये गये श्रमिकों को वर्ष में दो बार (माह जनवरी एवं जुलाई में) एण्टी टिटनेस का इंजेक्शन ठेकेदार को लगवाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को दी जाना आवश्यक होगी । भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर व्यय की प्रतिपूर्ति संघ द्वारा की जावेगी। श्रमिक ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को छूत की बीमारी या अन्य कोई गंभीर संक्रामक बीमारी नहीं होनी चाहिए। कार्य के दौरान यदि कोई श्रमिक आहत होता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा व अन्य नियमानुसार सुविधायें ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करवानी होंगी। ऐसा न करने की स्थिति में यदि प्रबंधन द्वारा यह सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उसकी राशि ठेकेदार से वसूली जावेगी तथा आर्थिक दण्ड़ राशि रूपये 5,000/– तक भी लगाया जा सकेगा।
14.14	कान्ट्रेक्ट लेबर (रेग्युलेशन एंड ऐबोलीशन) एक्ट 1970 के अंतर्गत निविदाकार के पास श्रमिक/सेवाकर्मी प्रदाय हेतु वैध जीवित लायसेंस होना आवश्यक तथा उक्त लायसेंस का समय–समय पर नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।
15 – शास्ती/अर्थदण्ड :–	
15.1	सफल निविदाकार द्वारा प्री–पैक शाखा/दुग्ध पदार्थ उत्पाद शाखा में उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिकों द्वारा यदि कार्य के समय पैकेट में कम वजन, लीकेज, डेमेज वाले पैकेटस् या निर्धारित संख्या से अधिक रखे जाते हैं या प्रोसेसिंग/उत्पादन, फिलिंग/पैकिंग, भण्डारण एवं हेण्डलिंग के दौरान दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ में कोई बाहरी तत्व यथा कीडे/मकौडे/बाल/कॉच का टुकडा आदि पाये जाने पर सफल निविदाकार को इसके लिए उत्तरदायी मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं इस संबंध में दुग्ध संघका निर्णय अंतिम होगा। साथ ही संघ को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति भी सफल निविदाकार से की जावेगी। प्रदत्त मानव संसाधन/श्रमिको/ सेवा कर्मियो व्दारा किसी भी प्रकार किये गये नुकसान जो लापरवाही/कर्तव्य पालन में चूक के कारण (कार्य के दौरान) जैसे चोरी, लूट, तोड़ फोड़ आदि के लिए सफल निविदाकार ही उत्तरदायी होगा। इस संबंध में अर्थदण्ड का प्रावधान हो सकता है जिसका निर्धारण दुग्ध संघ द्वारा किया जावेगा, जो कि द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा।

15.2	श्रमिक ठेकेदार को सौंपा हुआ कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर ठेका निरस्त करने एवं सुरक्षा निधि (Security Deposit) राजसात करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। निविदा/अनुबंध की शर्तो का समय–समय पर दिये गये आदेश/निर्देशों का पालन करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं अथवा आदेश क्रियान्वयन में विलम्ब होता है, सेवा प्रदाय करने में विफल होता है तो ऐसी स्थिति में ठेंका निरस्त करते हुए व एक वर्ष के लिए काली सूची में डाला जा सकेगा। उपरोक्त के सम्बंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। दुग्ध संघ अपने कार्यो का सुचारु रुप से अन्य स्त्रोत, अन्य ठेकेदार के माध्यम से श्रमिक/सेवाकर्मी रखा जाकर उनसे कार्य लिया जाकर मेहनताना या जो भी भुगतान करेगा अर्थात कार्य पर भी खर्च/व्यय होगा, उसकी क्षतिपूर्ति द्वितीय पक्ष से की जावेगी।
15.3	दूध एवं दूध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामें की वसूली निम्नानुसार वर्णित एजेसियों से पृथक–पृथक स्थितिवार की जावेगी :– 15.3 (i) – दुग्ध को संबंधित पैकेजिग मशीन से पैकिंग उपरांत कोल्ड रूम में शिफ्ट करना एवं वितरण के समय संबंधित कोल्ड रूम से वितरण डाक तक लाने में पूर्णतः श्रमिक ठेकेदार के अंतर्गत कार्यरत श्रमिक की जवाबदारी होगी। यदि क्रेटस में निर्धारित क्षमता से अधिक दूध पैकेट पाये जाते है तो ऐसी स्थिति में अधिक पाये गये दूध पैकेट की राशि (एमआरपी) का 20 गुना दण्ड श्रमिक ठेकेदार पर लगाया जा सकेगा। इसी प्रकार निर्धारित मात्रा से अधिक दुग्ध उत्पाद पाये जाने पर दुग्ध उत्पाद की राशि (एमआरपी) का 20 गुना दण्ड श्रमिक ठेकेदार पर लगाया जा सकेगा। उपरोक्त के सम्बंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
	15.3 (ii) – वाहन में परिवहन के लिये डेरी डॉक से वाहन पर दूध एवं दूध पदार्थ लोड करने के उपरांत यदि डेयरी डाक पर खड़े वाहन में निरीक्षण करने पर अधिक मात्रा पाई जाने पर श्रमिक ठेकेदार, परिवहनकर्ता तथा सुरक्षा एजेंसी तीनो संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगी। इन परिस्थितियों में ''दूध एवं दूध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामें की वसूली 03 पार्टीयों (पक्षो) क्रमशः श्रमिक ठेकेदार, वितरक–सहपरिवहनकर्ता एवं डेयरी डॉक पर कार्यरत सुरक्षा एजेंसी से समान अनुपात में राशि वसूल की जावेगी। इस प्रक्रिया में वितरण वाहन में लोड करने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को कार्य से पृथक किया जायेगा। यदि दस लीटर से कम दूध अतिरिक्त पाया जाता है तो अतिरिक्त पाये गये दूध के मूल्य का पांच गुना व एक क्रेट तथा दस लीटर या उससे अधिक पाये जाने पर अतिरिक्त दूध का एवं प्लास्टिक क्रेटों के मूल्य का भी 20 गुना अर्थदण्ड तीनो एजेंसीज (पक्षो) पर लगाया जायेगा । इसी प्रकार दुग्ध पदार्थ की चोरी के प्रकरण में भी 20 गुना आर्थिक दण्ड तीनों पार्टीयों पर अधिरोपित किया जावेगा। इस संबंध में पंचनामें पर मुख्य संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्रो में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उक्त के दृष्टिगत पंचनामें में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा। 15.3 (iii) –दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन एवं वितरण की तृतीय स्थिति अर्थात डेयरी डॉक से उक्त पदार्थ परिवहन वाहन में लोडिग उपरांत वाहन के डेयरी डॉक से चल देने के बाद संघ परिसर में अन्य किसी भी स्थान पर म.प्र. भूतपूर्व सैनिक कल्याण सुरक्षा एजेंसी/ संयंत्र में कार्यरत सुरक्षा एजेंसी द्वारा चैकिंग के दौरान चालान में दर्शायी गयी मात्रा से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो के अधिक पैकेट पाये जाने पर दो एजेंसीज यथा परिवहनकर्ता व डेयरी डॉक पर कार्यरत सुरक्षा एजेंसी समान रूप से उत्तरदायी होगी। इस संबंध में पंचनामें पर मुख्य संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्रो में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उक्त के दृष्टिगत पंचनामें में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा। इस परिस्थिति में दूध एवं दूध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामें की वसूली 02 पार्टीयों (पक्षो) क्रमशः वितरक–सहपरिवहनकर्ता एवं डेयरी डॉक पर कार्यरत सुरक्षा एजेंसी से समान अनुपात में राशि वसूल की जावेगी, साथ ही इस प्रक्रिया में वितरण वाहन में लोड करने वाले ठेका

	श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को कार्य से पृथक किया जायेगा। यदि बारह लीटर से कम दूध अतिरिक्त पाया जाता है तो अतिरिक्त पाये गये दूध के मूल्य का पांच गुना व एक क्रेट तथा बारह लीटर या उससे अधिक पाये जाने पर अतिरिक्त दूध का एवं प्लास्टिक क्रेटों के मूल्य का भी 20 गुना अर्थदण्ड दोनो एजेंसीज (पक्ष) पर लगाया जायेगा । इसी प्रकार दुग्ध पदार्थ की चोरी के प्रकरण में भी 20 गुना आर्थिक दण्ड दोनो पार्टीयों पर अधिरोपित किया जावेगा। इस संबंध में पंचनामें पर मुख्य संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्रो में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उक्त के दृष्टिगत पंचनामें में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा।
16 – ठेके पर रखे गये श्रमिकों/सेवाकर्मीयों की दुर्घटना, चोट, आग लगने मृत्यु होने या अन्य कोई अप्रिय घटना की दशा अथवा दुग्ध संघ की सम्पत्ति का नुकसान होना :–	
16.1	श्रमिक ठेकेदार किसी भी ठेका श्रमिक/सेवाकर्मी को कार्य के दौरान चोट, आग लगने, मृत्यु होने या अन्य कोई अप्रिय घटना की दशा में घटना की सूचना दुग्ध संघ को देगा तथा घटना के संबंध में श्रम नियम अनुसार शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए देय मुआवजा एवं अन्य स्वत्तों का भुगतान संबंधित विभाग से कराने की सम्पूर्ण जबाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। उपरोक्त के संबंध में दुग्ध संघ की किसी भी प्रकार की कोई जबाबदारी नही होगी। सफल निविदाकार कानून के अनुसार जांच, वैधानिक रिपोर्टिंग, चिकित्सा उपचार, क्षतिपूर्ति तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। ऐसी घटनाओं से उत्पन्न सभी वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए सफल निविदाकार पूर्णतः उत्तरदायी होगा और उसके या उसके कार्मिकों के कारण उत्पन्न दायित्वों के संबंध में दुग्ध संघ को सुरक्षित रखेगा।
17	**अप्रत्याशित परिस्थिति (Force Majeure)** –सफल निविदाकार एवं दुग्ध संघ अनुबंध अवधि में किसी भी प्राकृतिक आपदाऐं के लिए जो उनके नियंत्रण में न हो तथा जिससे अनुबंध का क्रियान्वयन प्रभावित होता है, जिम्मेदार नहीं होगें।
18	ऐसा कोई बिन्दु जो कि उपरोक्त बिन्दुओं में शामिल नहीं है पर उभय पक्ष आपसी सहमति से निर्णय ले सकेंगे तथा उसे लिखित रूप से इस अनुबंध में जोड़ सकेंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
ग्वालियर

उपरोक्त समस्त शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं । उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए भाव दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :–

दिनांक :–

नाम :–

पत्राचार हेतु पता :–

.....

दूरभाष/मो.नं. :–

परिशिष्ट–अ

श्रमिकों की श्रेणीवार स्वीकृत मजदूरी राशि/पारिश्रमिक, ई.पी.एफ, ई.एस.आई, सर्विस चार्ज का विवरण पत्रक

परिशिष्ट–ब

दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र अंतर्गत मुख्य डेयरी संयंत्र, मिनी डेयरी संयंत्र, दुग्ध शीतकेन्द्र, पशु आहार संयंत्र आदि कार्यस्थल पर लगने वाले मानव संसाधन/श्रमिकों/सेवा कर्मियों की अनुमानित संख्या।

कार्यालय ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

<u>प्रपत्र –02 (अ)</u>

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
ग्वालियर।

महोदय,

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र, गोला का मंदिर कार्यालय, पेट्रोल पंप एवं समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों में आवश्यक सेवाओं को संपादित करने के लिये ठेके पर श्रमिक/सेवा कर्मियों को प्रदाय करने हेतु **दिनांक** को समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार श्रमिक/सेवाकर्मी प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ । अतः मै एतद् द्वारा धरोहर राशि (Earnest Money) राशि रूपये 10,00,000/– (रूपये दस लाख मात्र) को Online जमा कर पावती निविदा के साथ ऑनलाइन अपलोड कर रहा हूँ एवं तकनीकी अर्हताये के लिये प्रमाण पत्र के तौर पर वांछित दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर रहा हूँ।

अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें

क्र.	आवश्यक अर्हता	अनिवार्यतः ऑनलाइन अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज	ऑनलाइन अपलोड दस्तावेजों के पृष्ठो का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण पत्र)	पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र / प्रमाण पत्र।	
2	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।	संस्था/फर्म के संचालक मण्डल / मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।	
3	यदि कोई पार्टनर हों तो उनका नाम व पता	पंजीकृत पार्टनरशिप डीड।	
4	संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत श्रमिक ठेके संबंधी जीवित लायसेंस क्रमांक।	मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग द्वारा प्रतिदिन कुल न्यूनतम 150 श्रमिक प्रदाय किये जाने हेतु श्रमिक/सेवाकर्मी प्रदाय लायसेन्स की प्रमाणित प्रति।	
5	कर्मचारी भविष्य निधि कोड नं. ।	कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र की प्रति।	
6	कर्मचारी राज्य बीमा कोड नं. एवं प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन – नियोक्ता एवं कर्मचारी	सक्षम कार्यालयो द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति।	
7	जी.एस.टी. पंजीयन कोड।	01.01.2021 से पूर्व का जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र।	
8	वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25 **एवं** 2025–26 का ऑडिटेड बैलेन्स शीट, आयकर का रिटर्न जमा करने का प्रमाण।	ऑडिटेड बैलेन्स शीट, ITR, PAN कार्ड की छायाप्रति एवं आयकर विभाग में रिटर्न की प्रति।	

9	वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25 **एवं** 2025–26 **का टर्न ओव्हर** प्रतिवर्ष **राशि रुपये चार करोड़** से अधिक अनिवार्यतः होना चाहिए।	Chartered Accountant द्वारा प्रमाणित वित्तीय पत्रक एवं लाभ/हानि खाते (Profit & Loss A/C) की प्रमाणित छायाप्रति तथा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (यदि लागू हो तो)।	
10	औद्योगिक संस्थानों/ दुग्ध संघों/ खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में गत **05 वित्तीय वर्ष** 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25 **एवं** 2025–26 **में ठेके पर श्रमिक प्रदाय किये गये हों।** उपरोक्त 5 वर्षों में से किन्हीं भी 2 वर्षों में किसी भी **एक ही संस्था को** न्यूनतम 300 दिन तक प्रतिवर्ष 150 श्रमिक उपलब्ध कराये गये हों। (संस्था का नाम व पता जहॉ श्रमिक प्रदाय किये गये हों)	नियोक्ता के कार्य आदेश की प्रति एवं सफलतापूर्वक एवं संतोषजनक कार्य सम्पदित किये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति तथा कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में चालान जमा करने संबंधी ई.सी.आर. की प्रति।	
11	भविष्य निधि अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में जमा कराये गये ई.पी.एफ की राशि के चालानों की छायाप्रति तथा शत प्रतिशत अंशदान जमा करने का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करें।	
12	कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में जमा कराये गये ई.एस.आई की राशि के चालानों की छायाप्रति तथा शत प्रतिशत अंशदान जमा करने का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करें।	
13	श्रम नियम अनुसार श्रम कल्याण निधि शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में जमा कराये गये श्रम कल्याण निधि राशि के चालानों की प्रमाणित प्रति तथा शत प्रतिशत अंशदान जमा करने का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करें।	
14	निविदाकर्ता का मध्यप्रदेश में रजिस्टर्ड/शाखा कार्यालय होना चाहिए।	पूर्ण पते का उल्लेख कर प्रमाण के रूप में संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें।	
15	किसी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ/दुग्ध संघ द्वारा आपकी संस्था को काली सूची में दर्ज नहीं किया गया हो।	तदाशय का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करें।	
16	धरोहर राशि **(EMD)**	निर्धारित **(EMD)** राशि रू 10,00,000/– (रुपये दस लाख मात्र) जमा किये जाने की पावती अपलोड करें। मध्य प्रदेश राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं को **(EMD)** जमा किये जाने से छूट प्रदान की	

		जाएगी। इस हेतु **MSME** के पंजीयन का प्रमाण पत्र, प्रपत्र 01 की कंडिका क्रमांक 6.2 के अनुसार अपलोड करना अनिवार्य होगा।	

यदि कोई निविदाकार उपर्युक्त पात्रता मानदंड पूरा करता हो, तब भी उसे खराब कार्य–निष्पादन के रिकॉर्ड के कारण अयोग्य ठहराया जा सकता है, जिसमें सरकार, सरकारी उपक्रम, पीएसयू, सहकारी संस्थाओं या अन्य प्रतिष्ठित संगठनों के कार्य का परित्याग, अनुबंध का अपूर्ण/अनुचित निष्पादन, निष्पादन में अत्यधिक विलंब, वित्तीय विफलता/दिवालियापन, असत्य जानकारी अथवा गलत घोषणा, निविदाकार के कारण अनुबंध की समाप्ति या कोई अन्य स्थापित प्रतिकूल कार्य–निष्पादन रिकॉर्ड शामिल है।

अनुबंध अवधि के दौरान कभी भी यह ज्ञात होता है कि निविदाकार द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्हताओं के संबंध में असत्य जानकारी प्रस्तुत की गई थी, ऐसी स्थिति में सफल निविदाकार को तत्समय अयोग्य मानते हुए अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा एवं सुरक्षा निधि जब्त की जा सकेगी।

———

प्रपत्र –02 (ब)

❖ तकनीकी निविदा के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु निविदाकारों के लिये दिशा निर्देश व शर्तेः–

तकनीकी बिड अंतर्गत दुग्ध संघ द्वारा निविदाकार से अनिवार्यतः वांछित प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) में दिये गये अनुसार है। निविदाकार द्वारा वांछित दस्तावेजों में से किन किन दस्तावेजों को संलग्न किया गया है अथवा विवरण प्रेषित किया गया है, का उल्लेख करते हुये प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., ग्वालियर को संबोधित पत्र अपलोड करना होगा।

1. तकनीकी अर्हता क्रमांक 11, 12, 13 एवं 15 हेतु शपथ पत्र संलग्न प्रारूप में तकनीकी निविदा के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

2. निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत तकनीकी अर्हतायें से संबंधित समस्त दस्तावेजों का सत्यापन मूल दस्तावेजों से किया जा सकता है।

3. निविदा प्रपत्रों में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी, इसलिए अपनी शर्तों का उल्लेख निविदा प्रपत्रों में नहीं करें। निविदाकार द्वारा सशर्त निविदा प्रस्तुत करने पर उपरोक्त निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।

4. तकनीकी अर्हताओं के परीक्षण उपरांत समस्त अर्हता रखने वाले निविदाकर्ताओं की ही भाव दरें ऑनलाइन खोली जायेंगी।

5. निविदाकार को प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) में दर्शाये गये तकनीकी अर्हताओं से संबंधित दस्तावेजों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना होगा तथा इस हेतु निर्धारित अर्हताओं के संलग्न दस्तावेजों में पृष्ठ क्रमांक अंकित कर प्रपत्र 02 (अ) के कालम क्रमांक 04 में उक्त पृष्ठ क्रमांक दर्शाया जाना अनिवार्य है।

6. निविदा प्रपत्रों में दी गई जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवंटित ठेका निरस्त कर धरोहर राशि (Earnest Money) जब्त की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ,
ग्वालियर

उपरोक्त निविदा की समस्त शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं । उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए भाव दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :–

दिनांक :–

नाम :–

पत्राचार हेतु पता :–

.....

दूरभाष / मो.नं. :–

(प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) – तकनीकी अर्हता क्रमांक 11, 12, 13 एवं 15 के संबंध में रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप)

शपथ पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम).....(पता).....(पंजीयन क्रमांक)..... शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :–

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्मद्वारा नियोजित सभी श्रमिकों/सेवा कर्मियों का भविष्य निधि अंशदान शत प्रतिशत जमा कराया गया है।
3. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्मद्वारा नियोजित सभी श्रमिकों/सेवा कर्मियों का कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान शत प्रतिशत जमा कराया गया है।
4. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्मद्वारा नियोजित सभी श्रमिकों/सेवा कर्मियों का नियम अनुसार श्रम कल्याण निधि अंशदान शत प्रतिशत जमा कराया गया है।
5. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्मको किसी शासकीय संस्था/निगम मण्डल/औद्योगिक संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ/दुग्ध संघ द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है।
6. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म द्वारा निविदा प्रपत्र की कंडिका क्रमांक 8.4 में उल्लेखित अनुसार ऑनलाईन भावपत्र में सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज की दर तीन प्रतिशत से कम प्रस्तुत नहीं की गयी है।
7. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थानः
दिनांकः

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं (नाम).....(आयु).....(पता).....शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पद **क्रमांक 1 से 7** में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया हैं और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थानः
दिनांकः

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

कार्यालय ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

प्रपत्र 3(अ)

तकनीकी निविदा

क्र.	विवरण	जानकारी	अनिवार्यतः ऑनलाइन अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज	ऑनलाइन अपलोड दस्तावेजों के पृष्ठो का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण पत्र)		पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र / प्रमाण पत्र।	
2	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।		संस्था/फर्म के संचालक मण्डल / मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।	
3	यदि कोई पार्टनर हों तो उनका नाम व पता		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड।	
4	संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत श्रमिक ठेके संबंधी जीवित लायसेंस क्रमांक।		मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग द्वारा प्रतिदिन कुल न्यूनतम 150 श्रमिक प्रदाय किये जाने हेतु श्रमिक/सेवाकर्मी प्रदाय लायसेन्स की प्रमाणित प्रति।	
5	कर्मचारी भविष्य निधि कोड नं. ।		कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र।	
6	कर्मचारी राज्य बीमा कोड नं. एवं प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन – नियोक्ता एवं कर्मचारी		सक्षम कार्यालयो द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति।	
7	जी.एस.टी. पंजीयन कोड।		01.01.2021 से पूर्व का जी. एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र।	
8	वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25 **एवं** 2025–26 का ऑडिटेड बैलेन्स शीट, आयकर का रिटर्न जमा करने का प्रमाण।		ऑडिटेड बैलेन्स शीट, ITR, PAN कार्ड की छायाप्रति एवं आयकर विभाग में रिटर्न की प्रति।	
9	वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 का टर्न ओव्हर प्रतिवर्ष राशि रुपये चार करोड़ से अधिक अनिवार्यतः होना चाहिए।		Chartered Accountant द्वारा प्रमाणित वित्तीय पत्रक एवं लाभ/हानि खाते (Profit & Loss A/C) की प्रमाणित छायाप्रति तथा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (यदि लागू हो तो)।	
10	औद्योगिक संस्थानों/ दुग्ध संघों/ खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में गत		नियोक्ता के कार्य आदेश की प्रति एवं सफलतापूर्वक एवं	

	05 वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 में ठेके पर श्रमिक प्रदाय किये गये हों। उपरोक्त 5 वर्षों में से किन्हीं भी 2 वर्षों में किसी भी एक ही संस्था को न्यूनतम 300 दिन तक प्रतिवर्ष 150 श्रमिक उपलब्ध कराये गये हों। (संस्था का नाम व पता जहॉ श्रमिक प्रदाय किये गये हों)		संतोषजनक कार्य सम्पदित किये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति तथा कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में चालान जमा करने संबंधी ई.सी.आर. की प्रति।	
11	भविष्य निधि अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।		वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में जमा कराये गये ई.पी.एफ की राशि के चालानों की छायाप्रति तथा शत प्रतिशत अंशदान जमा करने का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करें।	
12	कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।		वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में जमा कराये गये ई.एस.आई की राशि के चालानों की छायाप्रति तथा शत प्रतिशत अंशदान जमा करने का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करें।	
13	श्रम कल्याण निधि श्रम नियम अनुसार शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।		वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में जमा कराये गये श्रम कल्याण निधि राशि के चालानों की प्रमाणित प्रति तथा शत प्रतिशत अंशदान जमा करने का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करें।	
14	निविदाकर्ता का मध्यप्रदेश में रजिस्टर्ड/शाखा कार्यालय होना चाहिए।		पूर्ण पते का उल्लेख कर प्रमाण के रूप में संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें।	
15	किसी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ/दुग्ध संघ द्वारा आपकी संस्था को काली सूची में दर्ज नहीं किया गया हो।		तदाशय का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करें।	
16	धरोहर राशि **(EMD)**		निर्धारित **(EMD)** राशि रू 10,00,000/– (रुपये दस लाख मात्र) जमा किये जाने की पावती अपलोड करें। मध्य प्रदेश राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं	

			को **(EMD)** जमा किये जाने से छूट प्रदान की जाएगी। इस हेतु **MSME** के पंजीयन का प्रमाण पत्र, प्रपत्र 01 की कंडिका क्रमांक 6.2 के अनुसार अपलोड करना अनिवार्य होगा।	
17	क्या आपकी संस्था का किसी शासकीय संस्था/निगम मण्डल/औद्योगिक संस्था/ एम.पी. सी.डी.एफ/इन्दौर/उज्जैन/ जबलपुर/भोपाल/बुंदेलखण्ड सहकारी दुग्ध संघों में पूर्व में भी कभी कार्य कर चुकी है अथवा कर रही है।		यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण देवें।	
18	क्या आपकी संस्था का एम.पी.सी. डी.एफ/ इन्दौर/ उज्जैन/ जबलपुर/ भोपाल / बुंदेलखण्ड सहकारी दुग्ध संघों में ई.पी.एफ, ई. एस.आई एवं सर्विस टेक्स/जी.एस. टी. का कोई विवाद तो पंजीकृत/विचाराधीन नहीं है।		यदि विवाद है, तो पूर्ण विवरण देवें।	
19	क्या उक्त संस्थाओं से आपकी निविदा को निरस्त किया गया है ?		यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण देवें।	

यदि कोई निविदाकार उपर्युक्त पात्रता मापदंड पूरा करता हो, तब भी उसे खराब कार्य–निष्पादन के रिकॉर्ड के कारण अयोग्य ठहराया जा सकता है, जिसमें सरकार, सरकारी उपक्रम, पीएसयू, सहकारी संस्थाओं या अन्य प्रतिष्ठित संगठनों के कार्य का परित्याग, अनुबंध का अपूर्ण/अनुचित निष्पादन, निष्पादन में अत्यधिक विलंब, वित्तीय विफलता/दिवालियापन, असत्य जानकारी अथवा गलत घोषणा, निविदाकार के कारण अनुबंध की समाप्ति या कोई अन्य स्थापित प्रतिकूल कार्य–निष्पादन रिकॉर्ड शामिल है।

अनुबंध अवधि के दौरान कभी भी यह ज्ञात होता है कि निविदाकार द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्हताओं के संबंध में असत्य जानकारी प्रस्तुत की गई थी, ऐसी स्थिति में सफल निविदाकार को तत्समय अयोग्य मानते हुए अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा एवं सुरक्षा निधि जब्त की जा सकेगी।

:: घोषणा ::

मैंने निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा की शर्त तथा अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु दिये गये दिशा निर्देश, पूर्णतः पढ़ लिये एवं समझ लिये हैं और उस में दिये गये निर्देश के अनुसार ही निविदा प्रक्रिया में भाग ले रहा हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय शील

स्थान :–

दिनांक :–

नाम :–

पत्राचार हेतु पता :–

दूरभाष/मो.नं. :–

ईमेल आईडी :–

कार्यालय ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

प्रपत्र–03 (ब)

"भाव पत्र/दर"

(अ) निम्न मदों में दुग्ध संघ द्वारा नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी :–

क्र	विवरण
1	श्रमिकों की मजदूरी राशि (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी) एवं सेवा कर्मियों के मानदेय की राशि (एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित)
2	बोनस अधिनियम अनुसार न्यूनतम बोनस
3	टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण पर व्यय की गई राशि
4	श्रमिक कल्याण निधि नियोक्ता अंशदान
5	वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट के अंतर्गत एलआईसी की दुर्घटना समूह बीमा पॉलिसी की प्रीमियम का भुगतान दुर्घटना/अपंगता /मृत्यु बीमा के लिए क्रमश न्यूनतम रूपये 1 लाख/3 लाख/5 लाख प्रति कर्मी का समूह बीमा
6	कारखाना अवकाश का ओव्हर टाइम एवं सवैतनिक अवकाश का भुगतान, यात्रा देयकों का भुगतान (दुग्ध संघ के स्वीकृत दरों के अनुसार)
7	कर्मचारी भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान
8	कर्मचारी राज्य बीमा योजना नियोक्ता अंशदान
9	1 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले श्रमिकों/सेवा कर्मियों को पात्रतानुसार सेवा उपादान राशि हेतु एलआईसी की वार्षिक प्रीमियम राशि/श्रमिकों एवं सेवाकर्मी को भुगतान की प्रतिपूर्ति

नोटः–

1	ठेकेदार को सत्यापित उपस्थिति मानव दिवस (Mandays) के आधार पर भुगतान किया जावेगा ।
2.	'अ'' मद में प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान प्रमाणक की मूल प्रति श्रमिकों/सेवा कर्मियों की सूची सहित प्रस्तुत करनी होगी ।

(ब) निम्न मद हेतु निविदाकार अपनी न्यूनतम दर प्रस्तुत करें जिसका भुगतान दुग्ध संघ द्वारा किया जावेगा :– (केवल ऑनलाइन के माध्यम से अपनी दर प्रस्तुत करें)

क्र	विवरण	मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि/सेवाकर्मियों के मानदेय पर प्रतिशत (उपस्थिति दिवस के आधार पर)
1.	सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज (जीएसटी अतिरिक्त)	

नोट :– (1) निविदा प्रपत्र की कंडिका क्रमांक 8.4 के अनुसार सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज की दर तीन प्रतिशत से कम भरने पर निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जायेंगीं।

(2) जी.एस.टी एक्ट के अनुसार देयकों की राशि पर जी.एस.टी की राशि का भुगतान किया जाएगा।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :–

दिनांक :–

नाम :–

पत्राचार हेतु पता :–

.....

दूरभाष/मो.नं. :–

.....

कार्यालय ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

प्रपत्र–04

सफल निविदाकार को ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के मुख्य डेयरी संयंत्र बानमोर, गोला का मंदिर कार्यालय, पेट्रोल पंप एवं समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों में श्रमिक/सेवाकर्मी प्रदाय करना है, उपरोक्त का विवरण निम्नानुसार है।

(अ) मुख्य डेयरी संयंत्र बानमोर, जिला–मुरैना (म.प्र.)।

(ब) कार्यालय गोला का मंदिर, ग्वालियर।

(स) पेट्रोल पंप

(द) समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों की सूची।

1. मेहगॉव
2. दबोह
3. डबरा
4. भाण्डेर
5. दतिया
6. शिवपुरी
7. श्योपुर
8. विजयपुर
9. करहाल

नोट :– संघ द्वारा यदि कोई नवीन दुग्ध शीत केन्द्र/मिनी दुग्ध संयंत्र की स्थापना की जाती है, तो वह भी सूची में समाहित होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
ग्वालियर

प्रप्रत्र–05

(रूपये 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किये जाने वाले अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप)

:: अनुबंध प्रपत्र ::

आज दिनांक ———————— को यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर जो इस अनुबंध में प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ/प्रबंधन कहलायेगें तथा मेसर्सजिला, जो कि अनुबंध में द्वितीय पक्ष/श्रमिक ठेकेदार कहलायेगें, के मध्य ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर, डेयरी संयंत्र बानमोर, गोला का मंदिर कार्यालय, पेटोल पम्प एवं समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों में संयंत्र एवं अन्य कार्यो हेतु दुग्ध संघ की मांग अनुसार मेनडेज के आधार पर श्रमिक (उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल) एवं सेवा कर्मी) प्रदाय करने के लिये द्वितीय पक्ष द्वारा श्रमिक ठेकेदार के रुप में कार्य करने के लिये यह अनुबंध निम्न शर्तों पर निष्पादित किया जाता है :–

1 - कार्य का विवरण :–

1.1 निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात श्रमिक ठेकेदार को ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र बानमोर, गोला का मंदिर कार्यालय, पेट्रोल पम्प एवं समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों हेतु प्रतिदिन लगभग 150 श्रमिकों/सेवाकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

क्र.	**श्रेणी**	**अनुमानित संख्या**
1	**उच्च कुशल**	----
2	**कुशल**	------
3	**अर्द्धकुशल**	-------
4	**अकुशल**	------
5	**सेवा प्रदायक कर्मी**	-----
	योग	**150**

कार्य की आवश्यकतानुसार श्रमिकों की संख्या/श्रेणी समय–समय पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

द्वितीय पक्ष द्वारा उच्चकुशल/कुशल/ अर्द्धकुशल/ अकुशल श्रमिकों को राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं सेवाकर्मी एमपीसीडीएफ द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार कार्य की आवश्यकतानुसार प्रदाय किया जाना अनिवार्य है। **(परिशिष्ट–अ एवं ब)**

1.2 प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को निम्नानुसार दरो पर कार्य आवंटित किया गया है :–

क्र	विवरण	मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि/सेवाकर्मियों के मानदेय पर प्रतिशत (उपस्थिति दिवस के आधार पर)
1.	सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज (जीएसटी अतिरिक्त)	

(अ) निम्न मदों में प्रथम पक्ष द्वारा निम्नानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी :–

क्र	विवरण
1	श्रमिकों की मजदूरी राशि (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी) एवं सेवा कर्मियों के मानदेय की राशि (एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित)
2	बोनस अधिनियम अनुसार न्यूनतम बोनस
3	टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण पर व्यय की गई राशि

4	श्रमिक कल्याण निधि नियोक्ता अंशदान
5	वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट के अंतर्गत एलआईसी की दुर्घटना समूह बीमा पॉलिसी की प्रीमियम का भुगतान दुर्घटना/अपंगता /मृत्यु बीमा के लिए क्रमश न्यूनतम रूपये 1 लाख/3 लाख/5 लाख प्रति कर्मी का समूह बीमा
6	कारखाना अवकाश का ओव्हर टाइम एवं सवैतनिक अवकाश का भुगतान, यात्रा देयकों का भुगतान (दुग्ध संघ के स्वीकृत दरों के अनुसार)
7	कर्मचारी भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान
8	कर्मचारी राज्य बीमा योजना नियोक्ता अंशदान
9	1 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले श्रमिकों/सेवा कर्मियों को पात्रतानुसार सेवा उपादान राशि हेतु एलआईसी की वार्षिक प्रीमियम राशि/श्रमिकों एवं सेवाकर्मी को भुगतान की प्रतिपूर्ति

नोटः–

1	ठेकेदार को सत्यापित उपस्थिति मानव दिवस (Mandays) के आधार पर भुगतान किया जावेगा ।
2.	'अ'' मद में प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान प्रमाणक की मूल प्रति श्रमिकों/सेवा कर्मियों की सूची सहित प्रस्तुत करनी होगी ।

2 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष की आवश्यकतानुसार श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे। यदि अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता होगी तो संबंधित शाखा प्रमुख/प्रभारी दुग्ध शीत केन्द्र द्वारा ठेकेदार को यथा समय सूचना दी जावेगी। श्रमिक ठेकेदार का दायित्व होगा की वह प्रबंधन के निर्देशानुसार श्रमिकों/सेवाकर्मियों की पूर्ति सुनिश्चित करेगा ताकि कार्य की गतिशीलता प्रभावित न हो तथा आवश्यक होने पर श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। यदि आवश्यकतानुसार श्रमिकों/सेवाकर्मियों की व्यवस्था व प्रशिक्षण कराने में श्रमिक ठेकेदार असफल होता है, तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार को देय भुगतान से वसूल की जा सकेगी तथा आर्थिक शास्ति भी अधिरोपित की जायेगी। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा श्रमिक ठेकेदार हेतु मान्य व बंधनकारी होगा।

अनुबंध अवधि में दुग्ध संघ की आवश्यकता अनुसार वर्ष में त्यौहार आदि विशेष दिवसों में भी निविदाकार को वांछित मानव संसाधन उपलब्ध कराने होगें।

2.1 श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्य हेतु नियोजित श्रमिक/सेवाकर्मी की उम्र **18 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष** से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं कार्य करने वाले श्रमिक की शारीरिक क्षमता कार्य के योग्य होना चाहिए। इस संबंध में प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा।

3 सुरक्षा निधि

3.1 द्वितीय पक्ष अर्थात श्रमिक ठेकदार को कार्य आदेश जारी होने कि दिनांक से 15 दिवस की समयसीमा में सम्पूर्ण सुरक्षा निधि (Security Deposit) राशि **रूपये 30,00,000/– (रूपये तीस लाख मात्र)** डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/आर.टी.जी.एस. अथवा आरबीआई (RBI) द्वारा अधिसूचित अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अथवा अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंक अथवा अनुसूचित विदेशी बैंक की गारंटी के माध्यम से ''ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ग्वालियर'' के नाम से दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। ऐसी बैंक गारंटी की वैद्यता अनुबंध अवधि के अतिरिक्त 90 दिनों के लिए मान्य रहेगी।

सुरक्षा निधि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

3.2 प्रथम पक्ष द्वारा उक्त सुरक्षा निधि (Security Deposit), अनुबंध संतोषप्रद समाप्त होने के पश्चात् अनुबंध के समस्त दायित्वों को पूर्ण करने की दशा में, अधिकतम 30 दिनों के भीतर द्वितीय पक्ष को वापस कर दी जाएगी।

4 श्रमिक ठेकेदार के संबंध में प्रबंधन यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह कर्मचारी भविष्य निधि /कर्मचारी बीमा योजना/ठेकेदार द्वारा दिये गये संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में संबंधित निकायों/उपक्रमों/विभागों पूर्व नियोक्ताओं से पत्राचार कर यदि ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है, जो श्रमिक ठेकेदार ने अपनी निविदा इत्यादि में उल्लेख न कर उसे छुपाने का प्रयास किया है, तो उसका ठेका किसी भी समय समाप्त किया जा सकेगा।

5 यदि नियमों/अधिनियमों में संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तों में परिवर्तन/संशोधन/समावेश किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति पर अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा। जो कि अनुबंध का भाग माना जावेगा। असहमति की दशा में **03 माह की पूर्व सूचना** देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।

6 द्वितीय पक्ष द्वारा ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर की नाम मात्र की सदस्यता ग्रहण कर सकता है।

7 श्रमिक ठेका अवधि अनुबंध दिनांक से तीन वर्षो के लिए प्रभावशील होगी तथा श्रमिक ठेका अवधि पूर्ण होने पर व श्रमिक ठेकेदार का कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से अनुबंध अवधि में एक–एक वर्ष करके अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तो पर की जा सकेगी।

8 निष्पादित अनुबंध को द्वितीय पक्ष अथवा प्रथम पक्ष द्वारा बिना कारण बताए तीन माह की पूर्व सूचना देकर समाप्त किया जा सकेगा। नोटिस अवधि के दौरान द्वितीय पक्ष सेवाऐं संतोषजनक एवं बिना व्यवधान जारी रखेगा।

उपरोक्त नोटिस अवधि के बावजूद, गंभीर उल्लंघन, सेवाओं का परित्याग, लगातार असंतोषजनक कार्य–निष्पादन, मजदूरी/वैधानिक देयताओं का भुगतान न करना, धोखाधड़ी, झूठे/कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करना, लागू कानूनों का उल्लंघन, दिवालियापन या अनुबंध में निर्दिष्ट अन्य आधारों पर ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ तत्काल या बिना नोटिस के अनुबंध समाप्त कर सकता है। नोटिस अवधि में द्वितीय पक्ष पूर्व लिखित अनुमति के बिना मैनपावर वापस नहीं लेगी।

अनुबंध समाप्ति/अवधि पूर्ण होने पर द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष या प्रथम पक्ष द्वारा नामित प्रतिस्थापन सेवा प्रदाता को सुचारु हस्तांतरण/ट्रांजिशन हेतु आवश्यक सहयोग देगी।

द्वितीय पक्ष द्वारा यदि पूर्व सूचना दिये बिना ही श्रमिक ठेका समाप्त किया जाता है, जिससे कार्य प्रभावित होता है, तो इस स्थिति में द्वितीय पक्ष की जमा सम्पूर्ण सुरक्षा निधि राजसात की जावेगी तथा इसके अतिरिक्त द्वितीय पक्ष को काली सूची में अंकित किया जा सकेगा। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

9 प्रथम पक्ष द्वारा, उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन/ श्रमिको/सेवाप्रदायक कर्मियों की उपस्थिति एवं उनके कार्यो के अनुसार वेतन/पारिश्रमिक/मानदेय के भुगतान हेतु प्रतिमाह गत माह का सत्यापित उपस्थिति पत्रक ईमेल के माध्यम से अथवा भौतिक रूप से द्वितीय पक्ष को प्रतिमाह प्रथम 03 कार्य दिवस में उपलब्ध कराया जायेगा।

10 द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके व्दारा प्रदत्त मानव संसाधन/श्रमिक/सेवाप्रदायक

कर्मी मात्र एक निश्चित समयावधि के लिए अस्थाई रूप से (Deployed Temporarily on contract basis) दुग्ध संघ को सौंपे गये हैं तथा उक्त मानव संसाधन/श्रमिको/सेवा कर्मियों व्दारा दुग्ध संघ के किसी रिक्त पद, कार्यालयीन सुविधा, भर्ती, स्थाईकरण आदि संबंधी किया गया दावा मान्य नहीं होगा।

11 द्वितीय पक्ष की प्रथम पक्ष द्वारा स्वीकृत सर्विस चार्ज की दर अनुबंध की अवधि में अपरिवर्तित रहेगी।

12 यदि द्वितीय पक्ष का मुख्यालय ग्वालियर शहर के अतिरिक्त अन्य कहीं है तो उसे कार्य आदेश जारी होने के 30 दिवस के भीतर ग्वालियर शहर में एक स्थानीय कार्यालय भी खोलना अनिवार्य होगा, जिसका पूर्ण पता देना होगा ताकि, प्रथम पक्ष द्वारा पत्राचार उक्त कार्यालय के माध्यम से किया जा सके।

13 प्रत्येक पाली में द्वितीय पक्ष या उसके द्वारा नियुक्त/नियोजित पर्यवेक्षक को संपूर्ण अवधि में उपस्थित रहना आवश्यक है जिससे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके एवं किसी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका तत्काल निराकरण किया जा सके। यदि पर्यवेक्षक किसी पाली में उपस्थित नहीं पाया जाता है तो अर्थदण्ड राशि रुपये 2,000=00 (रुपये दो हजार मात्र) लगाया जा सकेगा। पाली के प्रारंभ व अंत में शाखा प्रभारी से किये गये कार्य का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा। श्रमिक ठेकेदार या उसके द्वारा नियुक्त/नियोजित पर्यवेक्षक की संदेहजनक गतिविधि पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार द्वारा दो कार्य दिवस के अंदर पर्यवेक्षक बदला जाएगा

14 द्वितीय पक्ष को संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र/कार्यालय/टाईम आफिस पर कारखाना अधिनियम अंतर्गत अनुशंसित श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर रखना होगा, जिसमें उसके या उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिदिन, प्रति पारी में प्रदाय किये जाने वाले श्रमिकों का विवरण उपलब्ध रहेगा। अधिकृत निरीक्षक अथवा संघ के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मॉगने पर रजिस्टर उपलब्ध कराया जावेगा। द्वितीय पक्ष या उनके पर्यवेक्षक को प्रतिदिन उस रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेदार होगा।

15 श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर द्वारा समय – समय पर निर्धारित श्रेणीवार न्यूनतम मजदूरी राशि तथा दुग्ध संघ द्वारा समय–समय सेवाकर्मियों की दरें बढ़ाई जाने पर श्रमिक/सेवाकर्मी को समस्त पारिश्रमिक का भुगतान बैक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। श्रमिक/सेवाकर्मी द्वारा कम भुगतान की शिकायत मिलने एवं जांच में सही पाये जाने पर एक माह के नोटिस के साथ श्रमिक ठेकेदार के कार्यादेश को निरस्त किया जा सकता है।

16 श्रमिक ठेकेदार को आवंटित कार्य किसी अन्य फर्म/ एजेसी आदि को हस्तांतरित नही किया जायेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो कार्य–आवंटन निरस्ती योग्य रहेगा।

17 सभी प्रदत्त मानव संसाधनों/श्रमिको/सेवाकर्मियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह कार्यस्थल की गोपनीयता को बनाये रखेंगे, किसी प्रकार के कदाचार संबंधी आचरण नहीं करेंगे जिसमें मिथ्या कथन, चोरी, धोखेबाजी, कार्यालयीन सम्पत्ति को नुकसान पहुॅचाना, अभद्र व अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल करना, यौन उत्पीड़न, जानबूझकर कार्यालयीन नियमों– निर्देशों की अवहेलना करना इत्यादि शामिल है।

गोपनीयता – द्वितीय पक्ष के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वे इस कार्य के संबंध में उपयोगित समस्त दस्तावेजों की गोपनीयता बनायें रखेंगे तथा किसी भी ऐसी जानकारी को दुग्ध संघ की अनुमति लिए वगैर किसी तीसरे पक्ष को प्रदान नहीं करेंगे।

18 द्वितीय पक्ष को विभिन्न श्रम अधिनियमों/नियमों (जो भी लागू हों) एवं भविष्य में शासन द्वारा किये जाने

वाले संशोधनों का पालन सुनिश्चित करना होगा । श्रमिक ठेकेदार को विभिन्न श्रम अधिनियमों, अंतर्गत वांछित प्रारूपों में जानकारी प्रस्तुत करना होगी व मांगने पर उक्त रिकार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। श्रमिक ठेकेदार की कार्य प्रणाली ऐसी हो कि किसी भी शासकीय विभाग से किसी भी प्रकार की शिकायत संघ को प्राप्त नहीं होना चाहिये। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा वैधानिक नियमों का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप शासन द्वारा आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जाता है, तो उसकी वसूली श्रमिक ठेकेदार से की जावेगी, साथ ही ऐसी दशा में दुग्ध संघ द्वारा नियमों का पालन करने के लिए किये गये व्यय की वसूली श्रमिक ठेकेदार के देयक से की जावेगी व आर्थिक दण्ड़ भी लगाया जा सकेगा।

यदि किसी श्रम नियम/अधिनियम का उल्लंघन का प्रकरण संघ के संज्ञान में आता है तो अन्य कार्यवाहियों के अतिरिक्त अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। इस कार्य से संबंधित सभी वैधानिक लायसेंस, पंजीकरण एव ंकर भुगतान आदि के लिए सफल निविदाकार उत्तरदायी रहेगा।

19 द्वितीय पक्ष को सर्विस चार्ज केवल मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि/सेवाकर्मियों के मानदेय पर (उपस्थिति दिवस के आधार पर) देय होगा, अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान पर देय नहीं होगा।

20 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त मानव संसाधन/श्रमिक/सेवाकर्मी ड्यूटी के दौरान अनुशासित रहेंगे एवं उन्हें प्रबंधन की सेवा शर्तों का पालन करते हुयें कार्य करना अनिवार्य होगा। उक्त कर्मियों द्वारा किसी भी प्रकार के ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा। वे दुग्ध संघ के विरूद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग नहीं लेगें। यदि कोई कर्मी कर्मचारी यूनियन से सदस्यता लेता है या दुग्ध संघके विरूद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग लेता है या संयंत्र को बंद कराता है या किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य/अनुशासनहीनता में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त करना सफल निविदाकार की जिम्मेदारी होगी। दोषी पाये गये श्रमिक को पुनः कार्य पर नहीं रखा जावेगा। इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिदिन प्रति श्रमिक रूपये 1,000/– तक अर्थदण्ड भी लगाया जा सकेगा, जिसकी वसूली सफल निविदाकार के देयकों में से की जा सकेगी।

21 संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्र/कार्यालय परिसर में मदिरापान, धूम्रपान या अन्य कोई भी नशा करना या जुआ खेलना पूर्णतः वर्जित है। श्रमिक द्वारा मदिरापान, धूम्रपान, गुटखा, पान, तम्बाकू इत्यादि का उपयोग करते हुये पाये जाने पर द्वितीय पक्ष के ऊपर रू. 500/– प्रति श्रमिक का अर्थदण्ड़ अधिरोपित किया जायेगा। श्रमिक द्वारा लगातार यह कृत्य किये जाने पर उसे भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जायेगा।

22 प्रत्येक श्रमिक को कार्य पर उपस्थिति के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा।

23 संयंत्र परिसर में कोई भी श्रमिक टिफिन, बोतल, बैग इत्यादि लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा तथा दुग्ध संघ प्रबंधन/प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित स्थान पर ही रखेगा, अन्यथा रू. 500/– प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड श्रमिक ठेकेदार पर अधिरोपित किया जाकर उनके देयकों से वसूल किया जा सकेगा।

24 सभी प्रदत्त मानव संसाधन/श्रमिक/सेवाप्रदायक कर्मी दुग्ध संघ के मुख्यालय/ अधीनस्थ जिला कार्यालयों/शाखाओं/मिनी डेयरी संयंत्रों/दुग्ध शीतकेन्द्रों के सीधे नियंत्रण व मार्गदर्शन में कार्य करेंगे तथा उस कार्य के संबंध में वहां लागू समस्त नियमों– निर्देशों का पालन करेंगें।

25 कार्यस्थल पर शाखावार श्रमिक की संख्या का निर्णय ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ के अधिकारी करेंगे तथा शाखावार श्रमिक की संख्या का निर्णय में द्वितीय पक्ष का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

26 ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के परिसर में कार्य स्थल पर मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित है। मोबाइल का उपयोग करते हुये पाये जाने पर अर्थदण्ड राशि रुपये 500=00 प्रति श्रमिक अधिरोपित किया जायेगा।

27 श्रमिकों द्वारा सेवा त्याग देने, सेवा से हटाये जाने अथवा मृत्यु आदि होने पर श्रमिक ठेकेदार को उक्त श्रमिकों से उनका परिचय पत्र जमा कराना होगा।

28 डेयरी संयंत्र में कार्य करने हेतु कार्य कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। द्वितीय पक्ष द्वारा डेयरी संयंत्र में अनुभवी श्रमिकों को दुग्ध संघ की सहमति के बिना नहीं हटाया जाएगा तथा डेयरी संयंत्र में नए श्रमिक को कार्य पर रखे जाने के पूर्व प्रभारी संयंत्र संचालन की सहमति अनिवार्य होगी।

29 कार्यस्थल पर सभी श्रमिकों को प्रभारी संयंत्र संचालन अथवा अन्य किसी ग्वालियर दुग्ध संघ के सक्षम अधिकारी की आज्ञा का पालन करना आवश्यक होगा। आज्ञा के उल्लंघन अथवा अभद्र व्यवहार की स्थिति में श्रमिक ठेकेदार या उसके द्वारा नियुक्त/नियोजित पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी होगी कि उक्त श्रमिक को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए । अगर अभद्र व्यवहार की शिकायत पर उक्त श्रमिक को नहीं हटाया गया तो इस आधार पर कार्य आवंटन को एक महीने के नोटिस के साथ निरस्त किया जाएगा

30 श्रमिक ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर की मशीनरी, उपकरणों को सावधानी एवं सुरक्षापूर्वक उपयोग करना होगा। किसी भी श्रमिक से जानबूझकर या असावधानी से संघ की संपत्ति/मशीनरी/उपकरणों की क्षति/टूट–फूट/ नुकसान होने पर मरम्मत व्यय अथवा नुकसान की लागत श्रमिक ठेकेदार से वसूल की जा सकेगी।

31 द्वितीय पक्ष प्रत्येक माह, गत माह में किये गये कार्यो/लगाये गये श्रमिक का सम्बंधित शाखा प्रमुखों द्वारा शाखावार सत्यापित उपस्थिति (हाजिरी) के आधार पर दो पृथक–पृथक देयक प्रस्तुत करेगा।

प्रथम देयक जो कि मजदूरी एवं मासिक बोनस का होगा। सफल निविदाकार द्वारा गत माह में किये गये कार्यो/लगाये गये श्रमिकों को मजदूरी एवं बोनस का भुगतान स्वयं के स्त्रोत से बैंक के माध्यम से श्रमिकों के बैंक खातों में प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से किया जाएगा। तदनुपरांत सफल निविदाकार प्रथम देयक प्रत्येक माह की 10 तारीख तक दो प्रतियों में तैयार कर दुग्ध संघ कार्यालय में अनिवार्य रुप से जमा करेगा। दुग्ध संघ द्वारा प्रथम देयक के परीक्षण उपरांत देयक सही पाये जाने पर आगामी 7 कार्य दिवसों में उक्त देयक का भुगतान (टीडीएस कटौत्रा पश्चात्) किया जाएगा।

द्वितीय देयक सभी वैधानिक भुगतान यथा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा की राशि एवं सर्विस चार्ज इत्यादि का होगा। वैधानिक भुगतान हेतु श्रमिक ठेकेदार को वैधानिक संस्थान में स्वयं के स्त्रोत से भुगतान कर उसकी भुगतान रसीद (ईसीआर, चालान आदि) की प्रति संलग्न करनी होगी, जिसके सत्यापन के पश्चात श्रमिक ठेकेदार को भुगतान (टीडीएस कटौत्रा पश्चात्) आगामी 7 कार्य दिवसों में किया जाएगा। वैधानिक भुगतान निर्धारित समय सीमा में नहीं किये जाने पर दुग्ध संघ द्वारा किसी भी प्रकार की पैनल्टी, ब्याज आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा। वैधानिक भुगतान से संबंधित पैनल्टी, ब्याज आदि का भुगतान द्वितीय पक्ष को ही वहन करना होगा।

वेतन पत्रक में वैधानिक एवं नियमानुसार अन्य कटोत्रा का विवरण सम्पूर्ण रुप से दर्शाना होगा। श्रमिकों/सेवाकर्मियों को बैंक के माध्यम से भुगतान किये जाने की पुष्टि हेतु बैंक स्टेटमेंट और मासिक वेतन रजिस्टर (दुग्ध संघ में लगाये गये श्रमिकों/सेवा कर्मियों का) प्रस्तुत करना होगा। मजदूरी से सम्बधित किसी प्रकार की जबाबदारी ठेकेदार की होगी। प्रथम पक्ष इस सम्बंध में जबाबदार नहीं होगा। श्रमिकों को उचित भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त श्रमिकों को वेतन पर्ची दी जावेगी, जिसकी एक प्रति संघ कार्यालय में भी प्रस्तुत की जाना आवश्यक होगा।

32 श्रमिकों का ई.पी.एफ., ई.एस.आई, श्रमिक कल्याण निधि इत्यादि का नियमानुसार कटौत्रा करने की संपूर्ण जबाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी। नियम अनुसार कटौत्रे निर्धारित समय पर जमा करने की जबाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

33 बोनस, जी.एस.टी एवं अन्य वैधानिक दायित्वों के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि एवं श्रमिकों/सेवाकर्मियों को भुगतान निर्धारित समय पर करने का संपूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। अन्यथा की स्थिति में श्रमिक ठेकेदार के विरूद्ध राशि रू 10,000/– प्रतिमाह का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा। अन्य वैधानिक दायित्वों के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि के भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत करने पर दुग्ध संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार को नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी। सर्विस चार्ज केवल मासिक

न्यूनतम मजदूरी/सेवा कर्मियों के मानदेय राशि पर देय होगा, अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान पर देय नहीं होगा।

34 द्वितीय पक्ष के माध्यम से उपलब्ध कराये गये सभी मानव संसाधनों/श्रमिको/सेवाकर्मियों को दुग्ध संघ की आवश्यकतानुसार कार्यालयीन समय के बाद भी संबंधित अधिकारियों व्दारा सौंपे गये कार्यो को संपादित करना होगा। श्रम नियमानुसार अतिरिक्त समय/साप्ताहिक अवकाश/ कारखाना अवकाश में कार्य करने पर द्वितीय पक्ष द्वारा पात्र श्रमिकों को ओव्हर टाईम का भुगतान करना होगा।

द्वितीय पक्ष के माध्यम से उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन/श्रमिको/ सेवाकर्मियों को म.प्र. श्रम आयुक्त द्वारा जारी आदेश एवं दिशा–निर्देश प्रभावी होगे।

35 श्रमिको/सेवाकर्मियों को नियमानुसार देय राशि में से कोई राशि भुगतान करने में यदि द्वितीय पक्ष विफल हो जाता है या नियमानुसार जमा योग्य अन्य राशि जमा नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में भुगतान राशि ठेकेदार की सुरक्षा निधि (Security Deposit) राशि से या देय योग्य अन्य राशि में से दुग्ध संघ श्रमिक ठेकेदार के नाम से जमा करा देगा और शेष बची राशि वापस करेगा या ज्यादा राशि होगी तो द्वितीय पक्ष से बकाया राशि वसूल की जावेगी तथा श्रमिक ठेका निरस्त किया जा सकेगा। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

36 यदि किसी माह में द्वितीय पक्ष द्वारा श्रमिकों/सेवाकर्मियों को वेतन भुगतान नहीं किया जाता है, तो द्वितीय पक्ष को उक्त माह के सर्विस चार्ज का भुगतान नहीं किया जावेगा। साथ ही श्रमिक ठेका निरस्त कर एक वर्ष हेतु काली सूची में डाला जा सकेगा तथा दुग्ध संघ में जमा सुरक्षा निधि जब्त की जा सकेगी।

37 श्रमिक ठेका आवंटन के कार्यादेश दिनांक से एक माह की अवधि में द्वितीय पक्ष को सभी श्रमिकों/सेवाकर्मियों के बैंक एकाउंट खोलना अनिवार्य होगा तथा श्रमिकों के वेतन व अन्य स्वत्वों का भुगतान बैंक एकाउंट के माध्यम से ही करना होगा। मजदूरी से संबंधित किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान/कम भुगतान की जबाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी, इस संबंध में दुग्ध संघ जबाबदार नहीं होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा सभी श्रमिकों/सेवाकर्मियों के बैंक खाते खुलवाकर संघ को बैंक खातो की सूची उपलब्ध करानी होगी।

38 श्रमिकों/सेवाकर्मियों को नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त श्रमिकों/सेवाकर्मियों को वेतन पर्ची (Salary Slip) दी जावेगी, जिसकी एक प्रति प्रथम पक्ष के कार्यालय में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है ।

39 द्वितीय पक्ष के देयकों से नियमानुसार आयकर का कटौत्रा कर प्रथम पक्ष द्वारा आयकर विभाग में जमा किया जावेगा किया जावेगा एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति उपरांत प्रथम पक्ष द्वारा किये गये आयकर कटौत्रा का विवरण/प्रमाण–पत्र प्रदाय किया जायेगा।

40 कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात द्वितीय पक्ष सभी श्रमिकों/सेवाकर्मियों के स्वयं सत्यापित आधार कार्ड की प्रति तथा पूर्ण रूप से भरे हुये फोटो पहचान पत्र की एक प्रति प्रथम पक्ष के कार्यालय में जमा करेगा।

41 द्वितीय पक्ष को कार्य पर रखे गये समस्त श्रमिकों/सेवाकर्मियों को फैक्ट्री एक्ट के अनुसार हाजिरी कार्ड, अवकाश कार्ड, अतिरिक्त समय कार्ड आदि भी देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा व्यवस्थित रिकार्ड रखना होगा एवं समय–समय पर शासन के अधिकृत निरीक्षकों/अधिकारियों से सत्यापन कराना होगा तथा प्रथम पक्ष द्वारा मांग करने पर भी उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

42 श्रमिक ठेका आवंटन दिनांक से एक माह की समयसीमा में द्वितीय पक्ष द्वारा कार्य पर रखे गये समस्त श्रमिकों/सेवाकर्मियों को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित की गई दो गणवेश (दो शर्ट, दो पैंट, एक जोड़ी जूते), द्वितीय पक्ष को स्वयं के व्यय से (जिसकी प्रतिपूर्ति दुग्ध संघ द्वारा नहीं की जाएगी) प्रतिवर्ष उपलब्ध

कराना अनिवार्य होगी। महिला श्रमिकों को कार्य पर रखे जाने पर द्वितीय पक्ष को उन्हें भी प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित की गई रंग की दो गणवेश (साड़ी अथवा सलवार सूट) प्रदान करना अनिवार्य होगा। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा श्रमिकों/सेवा कर्मियों को गणवेश एवं जूते प्रदान नहीं किये जाते हैं तो प्रथम पक्ष द्वारा उचित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।

43 द्वितीय पक्ष को प्रत्येक श्रमिक/सेवाकर्मी का ई.एस.आई. कार्ड बनवाकर एक माह में देना अनिवार्य होगा । इस संबंध में शिकायत पाये जाने पर प्रत्येक श्रमिकवार राशि रू. 1000/– तक की पेनाल्टी द्वितीय पक्ष पर लगाई जा सकेगी। द्वितीय पक्ष यदि ग्वालियर शहर से बाहर का है, तो उन्हें अनुबंध के उपरांत कर्मचारी राज्य बीमा, ग्वालियर कार्यालय का सब कोड़ (Sub Code) तत्काल लेना आवश्यक है, जिससे कि श्रमिक/सेवाकर्मी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर चिकित्सा लाभ ले सके तथा चिकित्सा अवकाश अवधि के पारिश्रमिक का भुगतान श्रम नियम अनुसार शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विभाग से कराये जाने की सम्पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

44 द्वितीय पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वह श्रम नियमानुसार एवं कारखाना अधिनियम के परिपालन में सामान्यतः एक से अधिक पाली में निरंतर श्रमिको को कार्य पर नहीं रखेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वह श्रम नियमानुसार अपने श्रमिकों से प्रतिमाह कार्य कराये, इस हेतु रिलीवर की व्यवस्था भी द्वितीय पक्ष को करनी होगी, जिसका भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रतिपूर्ति की जावेगी। ऐसा नहीं पाये जाने पर द्वितीय पक्ष के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी एवं आर्थिक शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी। द्वितीय पक्ष को श्रमिकों की संख्या के आधार पर भुगतान न करते हुए मानव दिवस (Mandays) के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

45 द्वितीय पक्ष को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्य हेतु उपलब्ध कराये जा रहे श्रमिक (उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल)/सेवाकर्मी निविदा में दी गई शर्तो व मापदण्ड के अनुरूप हो।

46 द्वितीय पक्ष उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन/श्रमिको/सेवा कर्मियों की संपूर्ण सूची जानकारी के साथ जैसे– नाम, आधार नम्बर, पता, पुलिस वेरीफिकेशन, मेडिकल सर्टीफिकेट एवं फोटोग्राफ सहित प्रथम पक्ष को प्रदान करेगा।

47 यदि किसी श्रमिक/सेवा कर्मी को प्रथम पक्ष सुरक्षा कारणों, अक्षमता, अनुचित व्यवहार, व्यक्तिगत रूचि से प्रभावित होने के कारण अस्वीकार करता है, तो द्वितीय पक्ष द्वारा उसे तत्काल बदला जाना होगा।

48 श्रमिकों/सेवाकर्मियों के संबंध में उत्पन्न विवाद/समस्याएं/शिकायत को निराकृत करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

49 किसी श्रमिक के द्वारा व्यक्तिगत कारणों से कार्य छोड़ने पर द्वितीय पक्ष को तत्काल प्रतिस्थापन उपलब्ध कराना होगा।

50 ऐसे आउटसोर्स श्रमिक/सेवा कर्मी, जो ई.एस.आई की परिधि से बाहर हैं अथवा जो ऐसे क्षेत्र में कार्यरत हैं, जो ई.एस.आई अंतर्गत नोटिफाईड नहीं हैं, के दुर्घटना संबंधित हानि की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट 1923 के परिपालन में क्षतिपूर्ति हेतु उक्त मानव संसाधन/श्रमिकों/सेवा कर्मियों का दुर्घटना/अपंगता/मृत्यु बीमा करना (क्रमशः रूपये 1 लाख/3 लाख/5 लाख प्रति कर्मी का समूह बीमा) द्वितीय पक्ष की जिम्मेदारी होगी। द्वितीय पक्ष को समूह बीमा पॉलिसी की एक प्रति अनिवार्य रूप से प्रथम पक्ष के कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसी पॉलिसी संपूर्ण अनुबंध की अवधि तक प्रभावशील/वैध होना अनिवार्य है। अनुबंध अवधि में वृद्धि होने पर द्वितीय पक्ष को पॉलिसी का नवीनीकरण तुरंत कराना होगा। बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की प्रतिपूर्ति प्रथम पक्ष द्वारा की जावेगी। यदि कार्य करते समय किसी कर्मी का एक्सीडेंट हो जाय तो ऐसी परिस्थिति में वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट के अन्तर्गत देय मुआवजों एवं अन्य दावों, खर्चो आदि का पूर्ण खर्च द्वितीय पक्ष को वहन करना होगा।

51 द्वितीय पक्ष को अच्छे आचरण एवं चरित्र के श्रमिक देना होंगें। उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उनके विरूद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज न हो। यदि कोई श्रमिक डेरी संयंत्र/ दुग्ध शीतकेन्द्र /कार्यालय परिसर में अभद्र व्यवहार या लडाई झगडा करता हुआ पाया जाता है अथवा प्रथम पक्ष के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो द्वितीय पक्ष को ऐसे श्रमिक/सेवा कर्मियों को तत्काल हटाना होगा।

ऐसे श्रमिकों/सेवाकर्मियों व्दारा उपरोक्त बिन्दुओं में वर्णित कदाचार एवं कार्यालयीन मर्यादाओं का उल्लंघन करने अथवा प्रशासनिक लापरवाही करने या उसके विरूद्ध वित्तीय अनियमितता आदि से संबंधित शिकायत आदि प्राप्त होने की स्थिति में द्वितीय पक्ष के लिए यह बंधनकारी होगा कि वह संबंधित श्रमिको/सेवा कर्मियों को हटाकर उनके स्थान पर अन्य श्रमिको/सेवा कर्मियों की तत्काल व्यवस्था कर प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराये।

द्वितीय पक्ष को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपराधिक प्रवृत्ति/सजायाफ्ता/असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्यरत न रहें। अगर ऐसा पाया गया तो समस्त वैधानिक जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। किसी भी श्रमिक द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर प्रति श्रमिक राशि रूपये 5,000/– तक अर्थदण्ड द्वितीय पक्ष पर अधिरोपित किया जा सकेगा।

52 प्रथम पक्ष के निर्देशानुसार द्वितीय पक्ष को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों की कारखाना अधिनियम/नियमानुसार सामयिक चिकित्सा जॉच करवानी होगी (वर्ष में दो बार चिकित्सा जॉच कराना अनिवार्य होगा) तथा तत्संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य पर लगाये गये श्रमिकों को वर्ष में दो बार (माह जनवरी एवं जुलाई में) एण्टी टिटनेस का इंजेक्शन द्वितीय पक्ष को लगवाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को दी जाना आवश्यक होगी । भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर व्यय की प्रतिपूर्ति प्रथम पक्ष द्वारा की जावेगी। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित श्रमिकों को छूत की बीमारी या अन्य कोई गंभीर संक्रामक बीमारी नहीं होनी चाहिए। कार्य के दौरान यदि कोई श्रमिक आहत होता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा व अन्य नियमानुसार सुविधायें द्वितीय पक्ष को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करवानी होंगी। ऐसा न करने की स्थिति में यदि प्रथम पक्ष द्वारा यह सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उसकी व्यय की राशि द्वितीय पक्ष से वसूली जावेगी तथा आर्थिक दण्ड़ राशि रूपये 5,000/– तक भी लगाया जा सकेगा।

53 कान्ट्रेक्ट लेबर (रेग्युलेशन एंड ऐबोलीशन) एक्ट 1970 के अंतर्गत द्वितीय पक्ष के पास श्रमिक/सेवाकर्मी प्रदाय हेतु वैध जीवित लायसेंस होना आवश्यक तथा उक्त लायसेंस का समय–समय पर नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।

54 द्वितीय पक्ष द्वारा प्री–पैक शाखा/दुग्ध पदार्थ उत्पाद शाखा में उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिकों द्वारा यदि कार्य के समय पैकेट में कम वजन, लीकेज, डेमेज वाले पैकेटस् या निर्धारित संख्या से अधिक रखे जाते हैं या प्रोसेसिंग/उत्पादन, फिलिंग/पैकिंग, भण्डारण एवं हेण्डलिंग के दौरान दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ में कोई बाहरी तत्व यथा कीडे/मकौडे/बाल/कॉच का टुकडा आदि पाये जाने पर द्वितीय पक्ष को इसके लिए उत्तरदायी मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं इस संबंध में प्रथम पक्ष का निर्णय अंतिम होगा। साथ ही प्रथम पक्ष को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति भी द्वितीय पक्ष से की जावेगी।

द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त श्रमिको/ सेवा कर्मियो व्दारा किसी भी प्रकार किये गये नुकसान जो लापरवाही/कर्तव्य पालन में चूक के कारण (कार्य के दौरान) जैसे चोरी, लूट, तोड़ फोड़ आदि के लिए द्वितीय पक्ष ही उत्तरदायी होगा। इस संबंध में अर्थदण्ड का प्रावधान हो सकता है जिसका निर्धारण प्रथम पक्ष द्वारा किया जावेगा, जो कि द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा।

55 द्वितीय पक्ष को सौंपा हुआ कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर कार्य आवंटन निरस्त करने एवं सुरक्षा निधि (Security Deposit) राजसात करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

निविदा/अनुबंध की शर्तो का समय–समय पर दिये गये आदेश/निर्देशों का पालन करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं अथवा आदेश क्रियान्वयन में विलम्ब होता है, सेवा प्रदाय करने में विफल होता है तो ऐसी स्थिति में कार्य आवंटन निरस्त करते हुए व एक वर्ष के लिए काली सूची में डाला जा सकेगा। उपरोक्त के सम्बंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। प्रथम पक्ष अपने कार्यो का सुचारु रुप से अन्य स्त्रोत, अन्य ठेकेदार के माध्यम से श्रमिक/सेवाकर्मी रखा जाकर उनसे कार्य लिया जाकर मेहनताना या जो भी भुगतान करेगा अर्थात कार्य पर भी खर्च/व्यय होगा, उसकी क्षतिपूर्ति द्वितीय पक्ष से की जावेगी।

56 दूध एवं दूध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामें की वसूली निम्नानुसार वर्णित एजेसियों से पृथक–पृथक स्थितिवार की जावेगी :–

(i) – दुग्ध को संबंधित पैकेजिग मशीन से पैकिंग उपरांत कोल्ड रूम में शिफ्ट करना एवं वितरण के समय संबंधित कोल्ड रूम से वितरण डाक तक लाने में पूर्णतः द्वितीय पक्ष के अंतर्गत कार्यरत श्रमिक/सेवा कर्मी की जवाबदारी होगी। यदि क्रेटस में निर्धारित क्षमता से अधिक दूध पैकेट पाये जाते है तो ऐसी स्थिति में अधिक पाये गये दूध पैकेट की राशि (एमआरपी) का 20 गुना दण्ड द्वितीय पक्ष पर लगाया जा सकेगा। इसी प्रकार निर्धारित मात्रा से अधिक दुग्ध उत्पाद पाये जाने पर दुग्ध उत्पाद की राशि (एमआरपी) का 20 गुना दण्ड द्वितीय पक्ष पर लगाया जा सकेगा। उपरोक्त के सम्बंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

(ii) – वाहन में परिवहन के लिये डेरी डॉक से वाहन पर दूध एवं दूध पदार्थ लोड करने के उपरांत यदि डेयरी डाक पर खड़े वाहन में निरीक्षण करने पर अधिक मात्रा पाई जाने पर द्वितीय पक्ष, परिवहनकर्ता तथा सुरक्षा एजेंसी तीनो संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगी। इन परिस्थितियों में ''दूध एवं दूध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामें की वसूली 03 पार्टीयों (पक्षो) क्रमशः श्रमिक ठेकेदार, वितरक–सहपरिवहनकर्ता एवं डेयरी डॉक पर कार्यरत सुरक्षा एजेंसी से समान अनुपात में राशि वसूल की जावेगी। इस प्रक्रिया में वितरण वाहन में लोड करने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को कार्य से पृथक किया जायेगा। यदि दस लीटर से कम दूध अतिरिक्त पाया जाता है तो अतिरिक्त पाये गये दूध के मूल्य का पांच गुना व एक क्रेट तथा दस लीटर या उससे अधिक पाये जाने पर अतिरिक्त दूध का एवं प्लास्टिक क्रेटों के मूल्य का भी 20–20 गुना अर्थदण्ड तीनो एजेंसीज (पक्षो) पर लगाया जायेगा । इसी प्रकार दुग्ध पदार्थ की चोरी के प्रकरण में भी 20–20 गुना आर्थिक दण्ड तीनों पार्टीयों पर अधिरोपित किया जावेगा। इस संबंध में पंचनामें पर मुख्य संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्रो में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उक्त के दृष्टिगत पंचनामें में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा।

(iii) –दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन एवं वितरण की तृतीय स्थिति अर्थात डेयरी डॉक से उक्त पदार्थ परिवहन वाहन में लोडिग उपरांत वाहन के डेयरी डॉक से चल देने के बाद संघ परिसर में अन्य किसी भी स्थान पर म.प्र. भूतपूर्व सैनिक कल्याण सुरक्षा एजेंसी/ संयंत्र में कार्यरत सुरक्षा एजेंसी द्वारा चैकिंग के दौरान चालान में दर्शायी गयी मात्रा से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो के अधिक पैकेट पाये जाने पर दो एजेंसीज यथा परिवहनकर्ता व डेयरी डॉक पर कार्यरत सुरक्षा एजेंसी समान रूप से उत्तरदायी होगी। इस संबंध में पंचनामें पर मुख्य संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्रो में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उक्त के दृष्टिगत पंचनामें में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा। इस परिस्थिति में दूध एवं दूध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामें की वसूली 02 पार्टीयों (पक्षो) क्रमशः वितरक–सहपरिवहनकर्ता एवं डेयरी डॉक पर कार्यरत सुरक्षा एजेंसी से समान अनुपात में राशि वसूल की जावेगी, साथ ही इस प्रक्रिया में वितरण वाहन में लोड करने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को कार्य से पृथक किया जायेगा। यदि बारह लीटर से कम दूध अतिरिक्त पाया जाता है तो अतिरिक्त पाये गये दूध के मूल्य का पांच गुना व एक क्रेट तथा बारह लीटर या उससे

अधिक पाये जाने पर अतिरिक्त दूध का एवं प्लास्टिक क्रेटों के मूल्य का भी 20–20 गुना अर्थदण्ड दोनो एजेंसीज (पक्ष) पर लगाया जायेगा । इसी प्रकार दुग्ध पदार्थ की चोरी के प्रकरण में भी 20–20 गुना आर्थिक दण्ड दोनो पार्टीयों पर अधिरोपित किया जावेगा। इस संबंध में पंचनामें पर मुख्य संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्रो में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उक्त के दृष्टिगत पंचनामें में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा।

57 द्वितीय पक्ष किसी भी ठेका श्रमिक/सेवाकर्मी को कार्य के दौरान चोट, आग लगने, मृत्यु होने या अन्य कोई अप्रिय घटना की दशा में घटना की सूचना प्रथम पक्ष को देगा तथा घटना के संबंध में श्रम नियम अनुसार शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए देय मुआवजा एवं अन्य स्वत्तों का भुगतान संबंधित विभाग से कराने की सम्पूर्ण जबाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी। उपरोक्त के संबंध में प्रथम पक्ष की किसी भी प्रकार की कोई जबाबदारी नही होगी।

द्वितीय पक्ष कानून के अनुसार जांच, वैधानिक रिपोर्टिंग, चिकित्सा उपचार, क्षतिपूर्ति तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। ऐसी घटनाओं से उत्पन्न सभी वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए द्वितीय पक्ष पूर्णतः उत्तरदायी होगा और उसके या उसके कार्मिकों के कारण उत्पन्न दायित्वों के संबंध में प्रथम पक्ष को सुरक्षित रखेगा।

58 **<u>अप्रत्याशित परिस्थिति (Force Majeure)</u>** – द्वितीय पक्ष एवं प्रथम पक्ष अनुबंध अवधि में किसी भी प्राकृतिक आपदाऐं के लिए जो उनके नियंत्रण में न हो तथा जिससे अनुबंध का क्रियान्वयन प्रभावित होता है, जिम्मेदार नहीं होगें।

59 अनुबंध की शर्तों के अन्तर्गत किसी भी वाद–विवाद के संबंध में सभी वैधानिक कार्यवाही के लियें क्षेत्राधिकार ग्वालियर स्थित न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

60 उपरोक्त अनुबंध की कंडिकाओं के अतिरिक्त निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त नियम एवं शर्ते तथा कार्य आदेश अनुबंध का भाग रहेगा।

मैनें अनुबंध की समस्त शर्तें पढ़ एवं समझ ली हैं तथा उक्त समस्त शर्तो को स्वीकार करते हुए उनका पूर्णतः पालन करने के लिए सहमत हूँ एवं अनुबंध निष्पादित कर रहा/रही हूँ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी **ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर**	**हस्ताक्षर श्रमिक ठेकेदार**
स्थान –	**नाम –**
दिनांक –	
1. गवाह का नाम एवं पता	**ग्वालियर कार्यालय का पता, दूरभाष, मोबाइल एवं फैक्स/ई–मेल**
2. गवाह का नाम एवं पता	